www.dhyeyaias.com

जुलाई 2020 | अंक 02

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

ध्येय IAS की एक नई पहल

1 भारतीय टेक्सटाइल क्षेत्र

आत्मनिर्भरता का स्तम्भ

2 कोविड–19 के दौर में सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन की आवश्यकता

3 कम्यूनिटी पुलिसिंग : समय की मांग

4 चीनी उत्पादों पर 'ब्लैंकेट बैन' : भारत के लिए कितना उपयुक्त

5 संयुक्त राष्ट्र संघ में भारतीय जीत के मायने

6 आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं : सर्वोच्च न्यायालय

7 वन सन–वन वर्ल्ड–वन ग्रीड : हरित एवं सतत् ऊर्जा

ध्येय IAS
most trusted since 2003

ध्येय IAS : एक परिचय

विनय कुमार सिंह
संस्थापक एवं सी.ई.ओ.

हम इस मंत्र में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है; प्रत्येक व्यक्ति निपुण है एवं प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता है। ध्येय IAS हमेशा से आत्मप्रेरणादायक मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे कि छात्रों के भीतर ज्ञान का सृजन हो सके। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं अनुप्रयोग को एकीकृत रूप में पिरोकर एक सह-क्रियाशील प्रभाव उत्पन्न करना है। ध्येय IAS हमेशा से ही छात्रों के भीतर मानवीय मूल्यों एवं सत्यनिष्ठा को विकसित करने का पक्षधर रहा है जिससे कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो और वे एक ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए भी बेहतर हो। ध्येय IAS नये और प्रभावशाली तरीकों से अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को हर प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम निरंतर और निर्बाध रूप से अपने अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षण पद्धतियों में परिवर्तन एवं परिमार्जन करते रहते हैं।

सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी छात्रों में केवल ज्ञान के प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यथार्थ जीवन में उसका प्रयोग भी सिखाता है। ध्येय IAS प्रतियोगी छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है साथ ही उनमें ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का भी सृजन करता है।

क्यू. एच. खान
प्रबंध निदेशक

ध्येय IAS एक ऐसा संस्थान है जिसका लक्ष्य हमेशा से ही छात्रों के समग्र विकास का रहा है। हमारे संस्थान के शिक्षक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिससे कि छात्रों को प्रत्येक विषय में अधिकतम मदद प्राप्त हो सके। यह एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहाँ छात्रों को उच्चस्तरीय कक्षाओं और समृद्धशाली अध्ययन सामग्री के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

आज ध्येय IAS सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि हम उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम छात्रों को ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम के दायरे से सदैव दो कदम आगे रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी आन्तरिक क्षमता का बोध कराना होता है जिससे कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाकर कल के समाज का कीर्तिमान बन सकें।

Perfect 7 : एक परिचय

कुरबान अली
मुख्य संपादक

मैं उत्साहपूर्वक यह बताना चाहता हूँ कि 'Perfect 7' का नया स्वरूप छात्रों एवं पाठकों के लिए और अधिक जानकारियों को एक अत्यंत आकर्षक स्वरूप में लेकर सामने आ रहा है। इस कार्य के लिए संपादकीय दल को मेरी सुभेच्छा। शुरूआत से ही ध्येय IAS द्वारा रचित 'Perfect 7' को पाठकों का बेहद प्रेम और स्नेह मिलता रहा है। किसी भी संस्था का नाम एवं प्रसिद्धि उसके छात्रों एवं शिक्षकों की दक्षता एवं उपलब्धियों पर निर्भर करती है। एक शिक्षक का मुख्य कार्य उसके छात्रों की क्षमताओं का निर्माण कर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करना होता है, उसी क्रम में यह पत्रिका इस संस्थान की शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए उसके छात्रों एवं पाठकों में समसामयिकी मुद्दों पर एक व्यापक दृष्टिकोण को विकसित करने के लक्ष्य को लेकर प्रकाशित की जा रही है जिसके द्वारा विभिन्न प्रबुद्ध शिक्षकों, लेखकों एवं छात्रों को एक मंच पर सम्मिलित किया जा रहा है, ताकि वे अपने नवाचार युक्त विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकें।

इस क्रम में किये जा रहे कठिन परिश्रम को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

आशुतोष सिंह
प्रबंध संपादक

हमने अपनी साप्ताहिक पत्रिका का ना केवल नाम 'Perfect 7' रखा है, बल्कि उसे 'परफेक्ट' बनाने के लिए हर संभव प्रयास भी किया है। यह सर्वविदित है कि किसी कार्य की शुरूआत सबसे चुनौतीपूर्ण होती है और सबसे महत्वपूर्ण भी। इसलिए यह स्थिति हमारे सामने भी आयी।

हमारे लिए यह चुनौती और भी बड़ी इसलिए साबित हुई क्योंकि हमने अपनी पत्रिका की गुणवत्ता के लिए अत्यधिक उच्च मानक तय किया। हमने शुरूआत में ही तय कर लिया था कि हम पत्रिका के नाम पर प्रतिभागियों को 'सूचनाओं का कचरा' नहीं प्रदान करेंगे। हमने यह निश्चय किया कि सिविल सेवा की परीक्षा को केंद्र में रखते हुए, हम उन्हें 'Perfect 7' के रूप में वह रामबाण देंगे जो सीधे लक्ष्य को भेदेगा। इसके लिए हमने 'मल्टी फिल्टर' और 'सिक्स सिगमा' प्रणाली को अपनाया जिसके तहत अलग-अलग स्तरों पर चर्चा कर अंततः उन विषयों और मुद्दों को इसमें समाहित किया जाता है जहाँ से परीक्षा में प्रश्नों का पूछा जाना अधिसंभाव्य है।

इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर गलतियों को दूर कर 'Perfect 7' को त्रुटिहीन, प्रवाहपूर्ण और आकर्षक रूप से आपके सामने लाया जाता है। गुणवत्तापूर्ण सामग्री देने के अतिरिक्त, समयबद्ध रूप से इसको आपके समक्ष लाना भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। हमें इस बात का बेहद हर्ष एवं गर्व है कि पहले अंक से लेकर इस अंक तक कोई भी सप्ताह ऐसा नहीं रहा जब 'Perfect 7' अपने तय समय पर प्रकाशित न हुई हो।

'Perfect 7' का यह जो नया संस्करण हम आपके सामने ला रहे हैं, इसमें हमारे परिश्रम से कहीं ज्यादा आपके प्रेम और स्नेह की भूमिका है जिसकी वजह से हम बिना रूके, बिना थके प्रत्येक सप्ताह आपके लिए यह पत्रिका प्रकाशित करते हैं। आपकी शुभकामनाओं से यह क्रम आगे भी जारी रहेगा।

प्रस्तावना

हमने **'PERFECT 7'** पत्रिका को सिविल सेवा परीक्षा के प्रतियोगी छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया है। सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का चयन कर **'PERFECT 7'** में सात महत्वपूर्ण मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया जाता है। इसके अतिरिक्त सात ब्रेन बूस्टर्स, सात महत्वपूर्ण तथ्य, पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं एवं सात महत्वपूर्ण ग्राफिक्स के माध्यम से संकल्पनाओं का समावेशन **'PERFECT 7'** को सिविल सेवा परीक्षा के लिए 'गागर में सागर' साबित करता है।

'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों का संकलन करते समय उन मुद्दों के पक्ष, विपक्ष, विशेषताओं तथा उनसे भारत एवं विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा प्रस्तुत की जाती है, ताकि छात्र उन मुद्दों के बारे में एक समझ विकसित कर सकें। **'PERFECT 7'** के सात महत्वपूर्ण खबरों के जरिए छात्रों को सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। इस पत्रिका के सात महत्वपूर्ण तथ्यों एवं पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं के जरिए हम अपने छात्रों को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सिविल सेवा परीक्षा के सभी पहलुओं को समाहित करना है। **'PERFECT 7'** के सात ब्रेन बूस्टर्स के जरिए समसामयिक विषयों की जानकारी संक्षेप में एवं आकर्षक रूप में प्रस्तुत की जाती है जिससे कि छात्रों द्वारा इसे सरलता से आत्मसात किया जा सके। इसके अतिरिक्त इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। अन्य पत्रिकाओं की भांति हम छात्रों को केवल सतही जानकारी उपलब्ध कराने में विश्वास नहीं रखते बल्कि सारगर्भित बहुपक्षीय और त्रुटिरहित जानकारी प्रदान करने का अथक प्रयास करते हैं जिससे सिविल सेवा में हमारे छात्र सफलता अर्जित कर सकें, क्योंकि छात्रों की सफलता ही हमारी पत्रिका की कसौटी है। हमने अपने अथक प्रयास एवं परिश्रम के जरिए **'PERFECT 7'** पत्रिका को 'परफेक्ट' बनाने का कार्य किया है, फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो उसे सुधारने में आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

जीत सिंह
सम्पादक, ध्येय **IAS**

संघ लोक सेवा आयोग व अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा में विगत कुछ वर्षों से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित प्रश्नों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। इसकी पुष्टि विगत वर्षों में संपन्न हुई परीक्षाओं के प्रश्न पत्र से की जा सकती है। इसलिए हमने **'PERFECT 7'** पत्रिका के माध्यम से उन मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया है, जो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। **'PERFECT 7'** पत्रिका न केवल प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा के लिए उपयोगी है, बल्कि यह साक्षात्कार के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। इसमें समसामयिक घटनाओं को बेहद रोचक ढंग से तालिका,फ्लोचार्ट एवं चित्रों के माध्यम से समझाया गया है। **'PERFECT 7'** के सात महत्वपूर्ण मुद्दों को संकलित करते समय हमारा प्रयास न केवल उन मुद्दों के सभी पहलुओं अर्थात् एक स्पष्ट विश्लेषणात्मक सांचे में ढालने का रहा है बल्कि ऐसे मुद्दों का इसमें विस्तृत विवेचन भी किया गया है, जिनका अन्य समसामयिक पत्रिकाओं में जिक्र तक नहीं होता है। **'PERFECT 7'** के सात ब्रेन बूस्टर्स के माध्यम से समसामयिक विषयों की जानकारी को बेहद सटीकता व आकर्षक रूप से प्रस्तुत किया गया है, जिससे छात्रों को कम समय में भी उपयोगी जानकारी सुलभ हो सके। इसके अतिरिक्त **'PERFECT 7'** पत्रिका में सात महत्वपूर्ण खबरें, सात महत्वपूर्ण पीआईबी, सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न व सात महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश भी किया गया है। इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि किसी भी पत्रिका में तथ्यों की मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी गुणवत्ता होती है, इसलिए इसी सिद्धांत का अनुपालन करके हमने सारगर्भित रूप में यह पत्रिका आपके सम्मुख प्रस्तुत की है, चूंकि कोई भी कृति अंतिम नहीं होती है, उसमें सुधार की सदैव संभावनाएँ विद्यमान रहती हैं। अतः सभी छात्रों से अनुरोध है कि अपने बहुमूल्य सुझावों व समालोचनाओं से हमें अवगत कराएं।

अवनीश पाण्डेय
सम्पादक, ध्येय **IAS**

www.dhyeyaias.com

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

ध्येय IAS की एक नई पहल

जुलाई 2020 | अंक 02

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

ध्येय टीम

संस्थापक एवं सी.ई.ओ. ➢ विनय कुमार सिंह

प्रबंध निदेशक ➢ क्यू. एच. खान

मुख्य संपादक ➢ कुरबान अली

प्रबंध संपादक ➢ आशुतोष सिंह

संपादक ➢ जीत सिंह ➢ अवनीश पाण्डेय ➢ ओमवीर सिंह चौधरी ➢ रजत झिंगन

संपादकीय सहयोग ➢ प्रो. आर. कुमार

मुख्य लेखक ➢ अजय सिंह ➢ अहमद अली ➢ स्वाती यादव ➢ स्नेहा तिवारी

लेखक ➢ अशरफ अली ➢ गिरराज सिंह ➢ हरिओम सिंह ➢ अंशुमान तिवारी

समीक्षक ➢ रंजीत सिंह ➢ रामयश अग्निहोत्री

आवरण सज्जा एवं विकास ➢ संजीव कुमार झा ➢ पुनीश जैन

विज्ञापन एवं प्रोन्नति ➢ गुफरान खान ➢ राहुल कुमार

प्रारूपक ➢ कृष्ण कुमार ➢ कृष्णकांत मंडल ➢ मुकुन्द पटेल

कार्यालय सहायक ➢ हरीराम ➢ राजू यादव

Content Office

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

DHYEYA IAS
302, A-10/11, Bhandari House,
Near Chawla Restaurants,
Dr. Mukherjee Nagar,
Delhi-110009

विषय सूची

7 महत्वपूर्ण मुद्दे एवं उन पर आधारित विषयनिष्ठ प्रश्न 01–15

- भारतीय टेक्सटाइल क्षेत्र : आत्मनिर्भरता का स्तम्भ
- कोविड–19 के दौर में सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन की आवश्यकता
- कम्यूनिटी पुलिसिंग : समय की मांग
- चीनी उत्पादों पर ब्लैंकेट बैन : भारत के लिए कितना उपयुक्त
- संयुक्त राष्ट्र संघ में भारतीय जीत के मायने
- आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं : सर्वोच्च न्यायालय
- वन सन–वन वर्ल्ड–वन ग्रीड : हरित एवं सतत् ऊर्जा

7 महत्वपूर्ण ब्रेन बूस्टर्स 16–22

7 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर (ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित) 23–24

7 महत्वपूर्ण खबरें 25–29

7 महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु) 30

7 महत्वपूर्ण तथ्य (प्रारंभिक परीक्षा हेतु) 31

7 महत्वपूर्ण उक्तियाँ (निबंध एवं उत्तर लेखन के लिए उपयोगी) 32

OUR OTHER INITIATIVES

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...

Hindi & English Current Affairs Monthly News Paper

DHYEYA TV
Current Affairs Programmes hosted by Mr. Qurban Ali
(Ex. Editor Rajya Sabha, TV) & by Team Dhyeya IAS
(Broadcasted on YouTube & Dhyeya-TV)

7 महत्वपूर्ण मुद्दे

01 भारतीय टेक्सटाइल क्षेत्र : आत्मनिर्भरता का स्तम्भ

चर्चा का कारण

- हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित (Reboot) करने के लिए 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' की घोषणा की है। ऐसे में सरकार को पहले से ही आत्मनिर्भर क्षेत्रों, जिसमें वस्त्र उद्योग प्रमुख है, को विशेष बढ़ावा देने की आवश्यकता है। भारत सरकार द्वारा सहायता मात्र से ही भारतीय वस्त्र उद्योग वैश्विक बाजार में बड़ी भूमिका निभाने के साथ ही बड़ी मात्रा में रोजगार उपलब्ध करा सकता हैं, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को विशेष लाभ पहुंचेगा।

भारतीय वस्त्र उद्योग की महत्ता

- भारत को वस्त्र मूल्य शृंखला के सभी क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में कच्चे माल और विनिर्माण की सुविधाओं का अनूठा लाभ प्राप्त है लेकिन इसे अभी अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों से प्रतिस्पर्धा के लिये कई काम करना होगा। वस्त्र और परिधान उद्योग, विदेशी मुद्रा अर्जन और रोजगार की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है।
- इस उद्योग की विशिष्टता इसके व्यापक विस्तार में है, जहां एक तरफ गहन पूंजी वाले मिल उद्यम हैं वहीं दूसरी ओर सूक्ष्म कारीगरी वाले हस्त उद्योग हैं।
- विकेंद्रीकृत विद्युत से चलने वाले करघा और बुनाई क्षेत्र का वस्त्र उद्योग में सबसे बड़ा हिस्सा है। कपड़ा क्षेत्र में शामिल होने वाले प्रमुख उप क्षेत्रों में संगठित कपास, मानव निर्मित फाइबर कपड़ा मिल उद्योग, मानव निर्मित फाइबर/रेशा यार्न उद्योग, ऊन और ऊनी वस्त्र उद्योग, सेरीकल्चर और रेशम वस्त्र उद्योग, हथकरघा, पटसन, पटसन वस्त्र उद्योग और वस्त्र निर्यात शामिल हैं। आंकड़ों के अनुसार भारतीय वस्त्र उद्योग दुनिया में सबसे बड़े कच्चे माल के आधार हैं और विनिर्माण शृंखला में सबसे बड़ी ताकत हैं।
- घरेलू वस्त्र और परिधान उद्योग भारत की जीडीपी में 2 प्रतिशत और निर्यात में 12 प्रतिशत का योगदान करता है। यह क्षेत्र बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें महिला श्रमिकों का वर्चस्व है। इसमें 70 प्रतिशत कार्यबल महिलाएं हैं।
- यह एक ऐसा क्षेत्र है जो ग्रामीण महिलाओं की गरीबी दूर कर सकता है और भारत के बड़े हित में महिलाएं सशक्त हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त वस्त्र उद्योग भारत में कृषि क्षेत्र के बाद प्रत्यक्ष रूप से 10 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है।

भारतीय वस्त्र उद्योग की समस्याएँ

- भारतीय वस्त्र उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारशिला है। यदि देश में कोई एक ऐसा क्षेत्र है जो आत्मनिर्भर है, तो वह है कपड़ा उद्योग। इसके बावजूद भी देखा जाये तो भारतीय वस्त्र उद्योग को बांग्लादेश कंबोडिया और वियतनाम जैसे देशों के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही चीन वैश्विक कपड़ा बाजार में हावी होने का प्रयास कर रहा है।
- भारतीय वस्त्र और परिधान क्षेत्र, बुनाई, प्रसंस्करण और परिधान के उप क्षेत्र में विखंडित हैं और वैश्विक बाजारों में सफलता के लिये इसमें अपेक्षित पैमाने का अभाव है। अधिकांश विनिर्माण इकाइयों में अल्प

विनिर्माण क्षमताएं होती हैं जिससे वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धा करना उनके लिये कठिन हो जाता है।

- जहां भारत की कताई क्षमता वैश्विक स्तर की है, वहीं बुनाई और परिधान बनाने के बारे में भी ऐसा नहीं कहा जा सकता है। वास्तव में, देश में परिधान इकाइयों का औसत आकार 100 मशीनों का है। इसकी तुलना बांग्लादेश से करें तो पाएंगे कि, वहाँ प्रति कारखाने में कम से कम 500 मशीनें उपलब्ध हैं।
- भारत में 5.8 मिलियन किसान कपास की खेती में लगे हैं। कपास के फाइबर, यार्न और कपड़े पर जीएसटी समान रूप से 5 फीसदी है। लेकिन मानव निर्मित फाइबर (Man-made fibers) के लिए ऐसा नहीं है, बल्कि फाइबर के लिए 18 प्रतिशत, यार्न के लिए 12 प्रतिशत और कपड़े के लिए 5 प्रतिशत का वस्तु एवं सेवा कर लगाया जाता है। यह उलटा कर संरचना एमएमएफ वस्त्रों को महंगा बनाती है।
- कुछ प्रमुख मुक्त व्यापार समझौतों ने बांग्लादेश जैसे देश को भारत के साथ प्रतिस्पर्द्धा करने में सहायता प्रदान की है, जिन्हें भारतीय बाजार तक पहुँच के लिये शून्य शुल्क देना होता है।
- वस्त्र निर्यात पिछले छह वर्षों 40 बिलियन के स्तर पर बना हुआ है (वित्त वर्ष 2015 में यह 42 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था)। भारत के कुल निर्यात में वस्त्रों की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2019 में 12 प्रतिशत थी जबकि वित्त वर्ष 2016 में यह 15 प्रतिशत थी। इस अवधि के दौरान बांग्लादेश, वियतनाम और कंबोडिया जैसे देशों ने कपड़ा निर्यात में काफी वृद्धि दर्ज की है।
- बांग्लादेश का परिधान निर्यात 2015 में 26.60 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2019 में 33 बिलियन डॉलर हो गया है। कुछ ही समय में वियतनाम दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा परिधान निर्यातक देश बन गया है। दूसरी ओर, भारत का परिधान निर्यात वित्त वर्ष 2017 में 18 बिलियन से घटकर वित्त वर्ष 2019 में 17 बिलियन हो गया।

आगे की राह

- भारत का निर्यात प्रदर्शन कई कारणों से उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है। यह सामान्य व्यापार से संभव नहीं हो सकता। इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए यह सुनिश्चित करना होगा कि कपड़ा उत्पादों में विविधीकरण से भारत के निर्यात में हिस्सेदारी बढ़े तथा नये बाजारों का पता चले।
- उद्योग द्वारा अपनाए जाने वाली पुरानी तकनीक को छोड़ना होगा और अपनी मशीनरी को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना होगा। पिछले कुछ दशकों में, कपड़ा उद्योग ने विश्व स्तर पर एक नया रूप देखा है। यद्यपि मूल मशीनों और उनकी प्रक्रियाओं का अभी भी उपयोग किया जा रहा है, वे मूल से अधिक तकनीकी रूप से उन्नत संस्करणों में विकसित हुए हैं। अब जो मशीनें कुशल मजदूरों द्वारा मैन्युअल रूप से काम में लाई जाती थीं उन्हें आवश्यक कपड़ा सामग्री बनाने के लिये कम्प्यूटरीकृत और प्रोग्राम किया जा सकता है।
- भारत को वैश्विक बाजार में निर्यात बनाए रखने के लिये गुणवत्ता मुख्य आधार होना चाहिये, विशेषकर तब जब हम बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हैं। बढ़ती आय के स्तर के साथ, खुदरा उद्योग के निरंतर वृद्धि से, कपड़ा क्षेत्र को भविष्य में मजबूत घरेलू खपत के साथ-साथ वैश्विक बाजारों में बढ़ती मांग के कारण उच्च भागीदारी का अनुभव होने की उम्मीद है।
- सरकार द्वारा 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना को लागू करने के लिये गंभीर प्रयास और उपाय किये गये हैं ताकि कपड़ा उद्योग के विकास में तेजी आये। लेकिन उद्योग को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सुधार के लिये नवाचार और मूल्य संवर्धन पर ध्यान देने की पहल करने की आवश्यकता है। यदि हम वैश्विक क्षेत्र में अपने पदचिन्ह का विस्तार करना चाहते हैं तो हमें अभिनव और विशेष उत्पादों के साथ आना होगा। कपड़ा उद्योग की निरंतर वृद्धि और वैश्विक प्रतिस्पर्धा अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकती है।
- इस तरह की नीति का अनुसरण करते हुए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि देश के विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देना चाहिए। सरकार को उन क्षेत्रों पर नजर नहीं खोनी चाहिए जो पहले से ही आत्मनिर्भर हैं और थोड़ी मदद से वैश्विक बाजार में एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।

सामान्य अध्ययन पेपर-3

Topic:

- भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित मुद्दे।

प्र. ऐसे कौन से कारक हैं जिससे भारतीय वस्त्र उद्योग कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है ? साथ ही बताएं कि भारत का निर्यात प्रदर्शन किन कारणों से उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है?

02 कोविड-19 के दौर में सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन की आवश्यकता

चर्चा का कारण

- कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने हेतु सरकार ने लॉकडाउन लगाया था और अब धीरे-धीरे विभिन्न चरणों के तहत लॉकडाउन को खोला जा रहा है।
- लॉकडाउन के हटने से सार्वजनिक परिवहन में कोरोना वायरस के बढ़ने का खतरा बढ़ गया है।

महत्वपूर्ण बिन्दु

- सरकार द्वारा अपनायी जा रही अनलॉक प्रक्रिया के परिणामस्वरूप सार्वजनिक परिवहन भी धीरे-धीरे बढ़ रहा है। अपनी पूरी क्षमता से न सही लेकिन ट्रेन, बस और हवाई यात्राएँ शुरू हो चुकी हैं।
- हालाँकि अधिक संख्या में यात्रियों का आवाजाही सुनिश्चित करने वाली दिल्ली मेट्रो एवं मुम्बई की लोकल ट्रेनों का अभी पूरी तरह संचालन नहीं हो रहा है।
- सार्वजनिक परिवहन को लेकर सरकार के अतिरिक्त जनता भी डर रही है, क्योंकि उन्हें लगता है कि सार्वजनिक परिवहन के साधनों को अपनाने से वो संक्रमित हो सकते हैं।
- कोविड-19 महामारी की वजह से शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन को लेकर लोगों का भरोसा डगमगाने लगा है।
- एक सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि शहरों में पुरानी परिवहन व्यवस्था को स्थापित करना एक बड़ी चुनौती होगी। शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन के उपभोग में लगभग 90 फीसदी तक की गिरावट दर्ज की गयी है।
- कोरोना वायरस के संक्रमण के डर से लोग व्यक्तिगत वाहनों पर अधिक जोर दे रहे हैं।

सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था

- परिवहन व्यक्तियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन करने की सेवा या सुविधा को कहते हैं। ऐसा गमनागमन स्थल, जल एवं वायु में होता है। सड़कें और रेलमार्ग स्थलीय परिवहन का भाग हैं, जबकि जलमार्ग एवं वायुमार्ग परिवहन के अन्य दो प्रकार हैं।
- सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में एकसाथ भारी संख्या में व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन किया जाता है, यथा-मेट्रो सेवा आदि।
- भारत में अभी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पूर्णतया विकसित नहीं है तथा कोविड-19 महामारी ने इसके समक्ष और अधिक चुनौतियाँ उत्पन्न की है।

सार्वजनिक परिवहन से खतरा

- ट्रेन, बस, मेट्रो, हवाई जहाज आदि सार्वजनिक परिवहन के साधनों में कोरोना वायरस का संक्रमण इस बात पर निर्भर करता है कि इन साधनों में लोगों की भीड़ कितनी है और वो सोशल डिस्टेंसिंग का कितना पालन कर रहे हैं। यह बात सिर्फ परिवहन वाहनों पर ही लागू नहीं होगी बल्कि यह उनके स्टॉप या स्टेशनों पर भी लागू होती है।
- मेट्रो जैसे परिवहन साधनों में इनडोर एयरकंडीशन की पद्धति मौजूद है। वैज्ञानिकों का ऐसा दावा है कि इनडोर एयरकंडीशन से कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा अपेक्षाकृत अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें ताजी हवा का प्रवेश नहीं हो पाता है। इनडोर एयरकंडीशन में यदि एकबार हवा संक्रमित हो जाती है तो वह अपने चक्रीय प्रवाह के क्रम में भारी संख्या में लोगों को संक्रमित कर सकती है।
- बस, मेट्रो, ट्रेन आदि में हाथ से पकड़ने वाली जगहों के भी संक्रमित होने का खतरा काफी अधिक रहता है, क्योंकि जब कोई संक्रमित व्यक्ति इन जगहों को छू लेता है तो कई घंटों बाद कोरोना वायरस अपने-आप मरता है या फिर इन्हें सैनिटाइज किया जाये तब वायरस का खात्मा होता है।
- वायरस से संक्रमित व्यक्ति जब छींकता या खांसता है तो उसके मुंह से छोटी-छोटी बूँदें निकलकर वातावरण में कुछ दूरी तक फैल जाती हैं। ये बूँदें सीधे या फिर किसी दूषित वस्तु को छूने के बाद आँखों, नाक

और मुँह से शरीर में प्रवेश कर सकती हैं। ऐसे में बस, ट्रेन, मेट्रो, हवाई जहाज आदि में यात्रा करना और भी खतरनाक हो जाता है।

- हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस बात को स्वीकार किया है कि वायु के माध्यम से भी कोरोना वायरस फैल सकता है। इसलिए सार्वजनिक परिवहन जैसी भीड़-भाड़ वाली जगहों में हवा के माध्यम से एकसाथ भारी संख्या में लोग संक्रमित हो सकते हैं।
- सार्वजनिक जगहों (यथा-सार्वजनिक परिवहन आदि) में सबसे ज्यादा खतरा उन लोगों से होता है जो कोरोना वायरस से संक्रमित तो होते हैं लेकिन उनमें लक्षण प्रकट नहीं हो रहे होते हैं।
- सार्वजनिक परिवहन से कई लोगों की एकसाथ गतिशीलता बढ़ जाती है। इस स्थिति में यदि कोई कोरोना वायरस से संक्रमित हुआ तो उसके संक्रमण के स्रोत का पता भी लगाना लगभग असंभव होता है।
- भारत में अभी भी कोविड-19 महामारी को लेकर जागरूकता काफी कम है, खासकर उस तबके में जो आर्थिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं। इस स्थिति में जब लोग एकसाथ सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करेंगे तो स्वाभाविक रूप से कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अभी भारत में लोगों के द्वारा मॉस्क लगाने की दर काफी कम है, जो स्थिति की गंभीरता को प्रकट करती है।
- भारत में जनसंख्या अधिक होने से कई सार्वजनिक परिवहन के रूटों पर पीक (Peek)समय पर भीड़ काफी अधिक मात्रा में बढ़ जाती है, जो कोविड-19 महामारी में एक प्रमुख चुनौती है।
- लोगों के द्वारा सार्वजनिक परिवहन के अलग-अलग रूटों व साधनों के प्रयोग करने से भी संक्रमण का खतरा अधिक हो जाता है।

सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के न अपनाने से हानि

- विशेषज्ञों का कहना है कि यदि सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था कमजोर पड़ गयी तो इस स्थिति में निम्नलिखित प्रकार के नुकसान हो सकते हैं-
- सार्वजनिक परिवहन में कोरोना वायरस के संक्रमण के डर की वजह से लोग इसकी जगह निजी वाहनों का अधिक उपयोग करेंगे, इससे सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ बढ़ जायेगी और वो संकुल (Congested) हो सकती हैं।
- निजी वाहनों के अधिक उपयोग से सड़कों पर सड़क दुर्घटना का भी खतरा अपेक्षाकृत अधिक हो सकता है। सड़क दुर्घटना में मानव की असामयिक मृत्यु होती है जिसके आर्थिक, सामाजिक, भावनात्मक आदि कई नुकसान होते हैं। यही कारण है कि हर देश की सरकार अपने यहाँ सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए नियम-कानून बनाती रहती हैं और परिवहन ढाँचा को मजबूत करती हैं।
- सड़कों पर ज्यादा वाहनों के दौड़ने से वायु प्रदूषण भी बढ़ जाता है क्योंकि ज्यादा वाहन अधिक मात्रा में हानिकारक धुआँ उत्पन्न करते हैं और सड़कों के किनारे एकत्रित मिट्टी के महीन कणों को उड़ाकर वायु को प्रदूषित करते हैं।
- वायु प्रदूषण के बढ़ने से स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें वृद्ध एवं बच्चें को अपेक्षाकृत अधिक हो जाती हैं। यह स्थिति पहले से कोविड-19 महामारी के कारण दबाव में चल रहे स्वास्थ्य ढाँचा के लिए और भी गंभीर चुनौतियाँ उत्पन्न कर सकती है।
- अधिक निजी वाहनों के उपयोग से पेट्रोलियम ईंधन की खपत बढ़ जाती है। भारत अपनी पेट्रोलियम जरूरतों के लिए मुख्यत: आयात पर ही निर्भर है। इसलिए पेट्रोलियम की खपत बढ़ने से भारत का व्यापार घाटा बढ़ सकता है और भुगतान संतुलन की समस्या खड़ी हो सकती है जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक स्थिति होगी।
- वाहनों से निकलने वाले धुएँ में ग्रीन हाउस गैसें भी होती हैं जो भूमण्डल के ताप को बढ़ाने में मदद करती हैं। उल्लेखनीय है कि बढ़ता हुआ पृथ्वी का तापमान जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण है।

वित्तीय समस्या

- कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए सरकार ने लॉकडाउन विभिन्न चरणों में लगाया था, जिसने परिवहन क्षेत्र के सरकारी विभागों से लेकर निजी कम्पनियों की आर्थिक स्थिति को कमजोर कर दिया है।

- वर्तमान में कई विमानन कम्पनियाँ घाटे में चल रही हैं, क्योंकि कोरोना वायरस के डर से उन्हें अपेक्षित मात्रा में यात्री नहीं मिल पा रहे हैं।
- विमानन कम्पनियों से लेकर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के सभी साधनों को कोविड-19 महामारी से सावधानी बरतते हुए परिचालन करने में काफी खर्च करना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें बार-बार अपने परिवहन साधनों एवं अन्य ढाँचों को सैनिटाइज करना पड़ रहा है और अपने स्टॉफ को अतिरिक्त सावधानी हेतु ट्रेनिंग देनी पड़ रही है।
- कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने हेतु सार्वजनिक वाहनों में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना अनिवार्य होता है। इस स्थिति में वाहनों में कम यात्रियों की आवाजाही सुनिश्चित हो पाती है, जो वित्तीय समस्याओं को उत्पन्न करती है।

सुझाव

- सार्वजनिक परिवहन की सुरक्षा हेतु मॉस्क को अनिवार्य बना देना चाहिए और यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी यात्रियों के मोबाइल में आरोग्य सेतु एप उपस्थित हो।
- मेट्रो जैसी अधिक क्षमता वाली परिवहन व्यवस्थाओं में अंदर घुसने से पहले हाथों को सैनिटाइज करने की व्यवस्था होनी चाहिए।
- यात्रियों को हैंड टिश्यू पेपर के इस्तेमाल के लिए भी प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- मेट्रो एवं ट्रेन प्लेटफॉर्म, बस अड्डों, हवाई अड्डों आदि को नियमित तौर पर सैनिटाइज किया जाये और परिवहन साधानों को भी एक यात्रा (One Trip) के बाद सैनिटाइज किया जाये। उन जगहों पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है जिन्हें यात्री बार-बार छूते हैं, यथा-हत्थे, स्वचलित सीढ़ियों की रेलिंग, दरवाजा आदि।

- एयरकन्डीशन की केन्द्रीकृत प्रणाली (Centralised System) को हतोत्साहित करना चाहिए और ताजी हवा से युक्त विधियों पर ध्यान केन्द्रित करना होगा।
- सरकार को लोगों को जागरूक करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए और कुछ ऐसी रणनीतियों पर कार्य करना चाहिए जिससे यात्री कम से कम एक-दूसरे के संपर्क में आ सकें, यथा-
    - ऑफ-पीक समय (Off-peak Time) पर यात्रा के लिए प्रोत्साहन इसके लिए ऑफिस टाइमिंग को अलग-अलग किया जा सकता है।
    - लोगों को कम व्यस्त मार्गों पर यात्रा हेतु प्रोत्साहित करें और उन्हें अपने नियमित परिवहन साधनों में कम से कम परिवर्तन की सलाह दें।
    - जहाँ संभव हो वहाँ दो मीटर की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाये।
    - लोगों को पैदल, साइकिल आदि के लिए प्रोत्साहित किया जाये।
- चूँकि अधिकांश शहरी यात्राएँ पाँच किलोमीटर के आसपास होती हैं, इसलिए सरकार को गैर-मोटर चालित परिवहन (Non-Motorised Transport-NMT) पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए, क्योंकि इसमें कम लागत, कम मानव संसाधन की आवश्यकता होती है और इसे लागू करना आसान व त्वरित है।
- इस संकट की घड़ी में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के क्षेत्र में भी सरकार को आर्थिक रियायतें प्रदान करनी चाहिए।

निष्कर्ष

- सरकार को सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुरक्षित बनाने हेतु हर संभव प्रयास करने की आवश्यकता है ताकि लोगों का इस पर पुनः विश्वास बहाल हो सके और कोविड-19 की महामारी के प्रसार को भी रोका जा सके।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न मुद्दे।
- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/ सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

प्र. "देश में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए सार्वजनिक परिवहन एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा है। कोविड-19 महामारी के दौरान, सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से संक्रमण फैलने का जोखिम काफी अधिक है।" दिए गए कथन के प्रकाश में, सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव की चर्चा करें और नुकसान को कम करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर प्रकाश डालें।

03 कम्यूनिटी पुलिसिंग : समय की मांग

संदर्भ

- अमेरिका के मिनियापोलिस में एक निहत्थे अश्वेत व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस हत्या ने वर्तमान दिनों के सबसे बड़े नागरिक विद्रोह में से एक को प्रेरित किया जिसमें घटना के केंद्र में नस्लीय भेदभाव और आम जनता के प्रति पुलिस का क्रूर रवैया रहा।
- पिछले कुछ महीनों में, भारतीय पुलिस भी CAA विरोध प्रदर्शनों, दिल्ली में दंगों और कोविड-19 के दौरान पूरे भारत में प्रवासियों को संभालने के गलत रवैये के लिए खबरों में बनी हुई है।
- ऐसे में जनता और पुलिस के बीच अविश्वास बढ़ता जा रहा है। हालांकि, COVID-19 महामारी के समय में, पुलिस न केवल कानून लागू करने वाली एजेंसी की भूमिका निभा रही है, बल्कि एक सेवा प्रदाता के रूप में भी कार्य कर रही है। इसलिए जरूरी है कि पुलिस और जनता के बीच के संबंधों को बेहतर बनाया जाना चाहिए।

परिचय

- पुलिस और जनता के बीच बढ़ता अविश्वास सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज (CSDS) द्वारा 2019 में किए गए एक अध्ययन के अनुसार, गरीब, निम्न तबके के लोग, अल्पसंख्यक और महिलाएं पुलिस से भयभीत रहतीं हैं और पुलिस से जुड़ाव महसूस नहीं करती हैं। अध्ययन में शामिल आधे से अधिक लोगों का मानना है कि पुलिस गरीबों की तुलना में अमीरों के साथ बेहतर व्यवहार करती है, जो यह दर्शाता है कि गरीब और निम्न तबके के लोगों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है। इसके अलावा यह भी पाया गया कि पुलिस बल में SC, ST और OBC के प्रतिनिधित्व में भी कमी है।
- पुलिस के भेदभावपूर्ण और दमनकारी व्यवहार की धारणा के कारण आम जनता में पुलिस का भय है। पुलिस द्वारा अक्सर शक्ति का दुरुपयोग पुलिस के प्रति जनता के विश्वास को और भी काम कर देता है।
- अविश्वास दूर करने के लिए विभिन्न सिफारिशें स्वतंत्रता के बाद से ही विभिन्न समितियों और आयोगों ने भारत में त्वरित पुलिस सुधारों की सिफारिश की। कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें निम्नलिखित हैं:

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग रिपोर्ट (2006): रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस-जनता संबंध संतोषजनक स्थिति में नहीं हैं। लोग पुलिस को भ्रष्ट, अक्षम, राजनीतिक रूप से पक्षपातपूर्ण और गैर-जिम्मेदाराना मानते हैं।

राष्ट्रीय पुलिस आयोग की दूसरी रिपोर्ट (1980): रिपोर्ट के सिफारिश के अनुसार पुलिस को विधिवत मान्यता प्राप्त होनी चाहिए और संकट की स्थिति में लोगों को राहत प्रदान करने के लिए सेवा-उन्मुख भूमिका निभाने के लिए प्रशिक्षित और सुसज्जित होना चाहिए।

- 'प्रकाश सिंह एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया' (2006) वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला करते हुए कहा कि केंद्र और राज्यों को पुलिस कार्यप्रणाली के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित करने, पुलिस के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने, पोस्टिंग और स्थानांतरण का फैसला करने और पुलिस के कदाचार की शिकायतों की सुनवाई करने के लिए अथॉरिटी की स्थापना की जानी चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि प्रमुख पुलिस अधिकारियों को सेवा के न्यूनतम कार्यकाल की गारंटी दी जानी चाहिए ताकि उन्हें मनमाने स्थानान्तरण और पोस्टिंग से बचाया जा सके।
- व्यावहारिक रूप से, पुलिस जनता के सहयोग और समर्थन के बिना प्रभावी ढंग से काम नहीं कर सकती है, जिसकी सेवा, बचाव और सुरक्षा करने का कार्य उन्हें सौंपा गया है। पुलिस को अक्सर अपने कर्तव्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए नागरिक भागीदारी, सार्वजनिक भागीदारी और सामुदायिक संबंधों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार, प्रभावी पुलिसिंग के लिए जनता और पुलिस के बीच संबंधों में सुधार महत्वपूर्ण है।

सामुदायिक पुलिसिंग: एक समाधान

- जनता-पुलिस अविश्वास को कम करने की तरीकों में से एक सामुदायिक पुलिसिंग मॉडल है। यह बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ सक्रिय परामर्श, सहयोग और साझेदारी से की जाने वाली पुलिसिंग है। सामुदायिक पुलिसिंग के लिए अपराध की रोकथाम और उसकी पहचान, सार्वजनिक व्यवस्था के रख-रखाव और स्थानीय संघर्षों के समाधान के लिए पुलिस को समुदाय के साथ काम करने की आवश्यकता होती है, जिसका उद्देश्य बेहतर जीवन स्तर और सुरक्षा की भावना प्रदान करना है।

भारत में सामुदायिक पुलिसिंग के कुछ प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित हैं:

- 2008 में पुलिस और स्थानीय समुदाय के बीच अधिक पहुंच और निकट संपर्क स्थापित करने के लिए केरल में जनमैत्री सुरक्षा की शुरुआत की गई थी। कोविड महामारी के समय में, इस परियोजना के माध्यम से, पुलिसकर्मी समुदाय के बड़े हिस्से तक निगरानी, संपर्क पता लगाने, वरिष्ठ नागरिकों तक पहुंचने और स्वास्थ्य और स्वच्छता जागरूकता पैदा करने में सक्षम हो पाए।
- गुवाहाटी में मणिपुरी बस्ती की महिलाएं अपने क्षेत्र के युवाओं में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और कानून व्यवस्था में सुधार के लिए आगे आई जिन्हें मीरा पायबी (मशाल-वाहक) के नाम से जाना जाता है। वे जलती हुई मशालों को लेकर बस्ती में प्रवेश करने और बाहर निकलने के रास्तों पर पहरा देती थी, ताकि युवाओं को सूर्यास्त के बाद से बाहर जाने से रोका जा सके।
- दिल्ली में, विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ) 1980 के दशक से पुलिस और समुदाय के बीच एक सेतु का काम कर रहे हैं।
- देश में ऐसे ही अन्य सामुदायिक पुलिसिंग के मॉडल जैसे राजस्थान में 'संयुक्त पैट्रोलिंग समितियों' के माध्यम से, तमिलनाडु में, 'फ्रेंड्स ऑफ पुलिस' के माध्यम से, पश्चिम बंगाल में 'कम्युनिटी पुलिसिंग प्रोजेक्ट', आंध्र प्रदेश में 'मैत्री' और महाराष्ट्र में मोहल्ला समितियों' के माध्यम से सामुदायिक पुलिसिंग की जाती है।
- अत: वर्तमान कोविड-19 महामारी के दौरान सामुदायिक पुलिसिंग अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, जहां समुदाय की सक्रिय भागीदारी से पुलिस को अपने कर्तव्यों के बेहतर निर्वहन में मदद मिल सकती है।

सामुदायिक पुलिसिंग की चुनौतियाँ

- सामुदायिक पुलिसिंग को अति सतर्कता और त्वरित न्याय की ओर अग्रसर नहीं होना चाहिए। इसके लिए "सलवा जुडूम" के उदाहरण को ध्यान में रखा जाना चाहिए। जिसमें छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से लड़ने के लिए स्थानीय आदिवासी युवाओं को हथियार सौंप दिए गए थे। 'नलिनी सुंदर एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य' वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने इस कार्यक्रम को रोकने का आदेश दिया और कहा कि इससे संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है।

आगे की राह

- प्रभावी पुलिसिंग के लिए पुलिस-जनसंपर्क एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। वर्तमान में जब COVID-19 महामारी से लड़ाई में पुलिस प्रथम पंक्ति में खड़ी है तो, तब उसे जनता के समर्थन और सहयोग की आवश्यकता महसूस होती है। पुलिस बलों को कानून-व्यवस्था और अपराध केंद्रित दृष्टिकोण से, सेवा-उन्मुख, जन-सहयोगी दृष्टिकोण की ओर स्थानांतरित करने की आवश्यकता है जिससे सामुदायिक पुलिसिंग सुविधा और पुलिस के प्रति जनता के विश्वास को बल प्रदान की जा सके।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेंस-अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक घोषणा-पत्र, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय।

प्र. सामुदायिक पुलिसिंग से आप क्या समझते हैं? यह जनता में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ाने में किस प्रकार सहायक हो सकती है?

04 चीनी उत्पादों पर ब्लैंकेट बैन : भारत के लिए कितना उपयुक्त

चर्चा का कारण

- 15 जून 2020 को पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी (Galwan Valley) में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए। इस घटना के बाद से वास्तविक नियंत्रण रेखा (Line of Actual Control- LAC) पर युद्ध जैसे हालात बन गए थे। इसे लेकर देश की जनता में काफी रोष है और लोग मांग कर रहे हैं कि भारत में चीन से आयातित/निर्मित सामानों का बहिष्कार कर चीन को सबक सिखाना चाहिए।

भारत और चीन के बीच व्यापार

- अमेरिका के बाद चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझीदार है। साल 2019-20 के दौरान भारत और चीन के बीच 5.50 लाख करोड़ रुपये का व्यापार हुआ, जो कि भारत-अमेरिका के बीच 5.85 लाख करोड़ रुपये के व्यापार से सिर्फ थोड़ा ही कम है। भारत के कुल व्यापार में चीन की हिस्सेदारी करीब 11 फीसदी है।
- वाणिज्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, भारत ने वित्त वर्ष 2019-20 (अप्रैल-फरवरी) के दौरान चीन से कुल 4.40 लाख करोड़ रुपये का आयात किया। इस बीच सभी देशों को मिलाकर भारत का कुल आयात 31.23 लाख करोड़ रुपये का रहा है। इस तरह भारत के आयात में चीन कि हिस्सेदारी सर्वाधिक 14.08 फीसदी है।
- वहीं इससे पिछले साल 2018-19 में भारत ने चीन से 4.92 लाख करोड़ रुपये का सामान खरीदा था। इस साल कुल आयात में चीन की हिस्सेदारी 13.68 फीसदी थी।
- भारत ने वित्त वर्ष 2019-20 (अप्रैल-फरवरी) के दौरान कुल 20.58 लाख करोड़ रुपये का निर्यात किया और चीन को 1.09 लाख करोड़ रुपये का सामान निर्यात किया है। इस तरह चीन के साथ भारत का व्यापार अंतर या घाटा 3.31 लाख करोड़ रुपये का है।
- चीन के सामानों पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वालों की प्रमुख वजहों में से एक व्यापार घाटा है। आमतौर पर ये समझा जाता है कि व्यापार घाटा अच्छी चीज नहीं है और इससे घरेलू अर्थव्यवस्था कमजोर होती है। हालांकि यदि हम तथ्यों पर गौर करते हैं तो ये बात सही नहीं प्रतीत होती है।

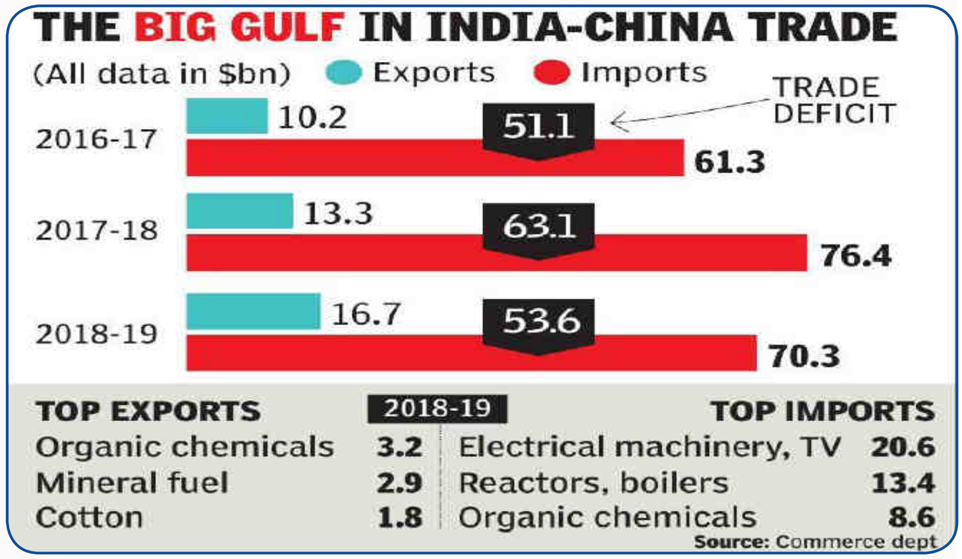

भारत द्वारा चीन से आयात की जाने वाली वस्तुएँ

- वित्त वर्ष 2019-20 (अप्रैल-फरवरी) में भारत ने चीन से सबसे ज्यादा 1.28 लाख करोड़ रुपये के इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी, उपकरण और इसके विभिन्न पार्ट्स खरीदे हैं। चीन से कुल आयात में इसकी 29 फीसदी हिस्सेदारी है।
- इसके बाद दूसरे नंबर पर न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयलर्स और इससे संबंधित मशीनें हैं, जिसे भारत ने चीन से 90.17 हजार करोड़ रुपये में आयात किया है। चीन से कुल आयात में इसकी 20.50 फीसदी हिस्सा है।
- तीसरे नंबर पर जैविक रसायन हैं, जिसे 53.09 हजार करोड़ रुपये में आयात किया गया है और चीन से कुल आयात का ये 12 फीसदी है। वहीं 18.19 हजार करोड़ रुपये का प्लास्टिक आयात किया गया है जो कि आयात का चार फीसदी है। इसी तरह भारत ने चीन से 12.73 हजार करोड़ रुपये के उर्वरक और 10.89 हजार करोड़ रुपये के लौह या स्टील के सामान आयात किए हैं। भारत द्वारा चीन से कुल आयात में इनकी हिस्सेदारी क्रमशः तीन और 1.5 फीसदी है।

चुनौतियाँ

- व्यापार घाटा का मतलब है कि भारतीय चीनी सामान ज्यादा खरीद रहे हैं, जबकि इसकी तुलना में चीन के लोग भारत से कम सामान ले रहे हैं। हालांकि ये बुरी चीज नहीं है, क्योंकि ये दर्शाता है कि भारतीय अपभोक्ताओं ने अपनी क्षमता के अनुसार जापानी या फ्रेंच या भारतीय उत्पादक की जगह चीनी सामान को तरजीह दी है। इस तरह दोनों तरफ के लोगों यानी कि चीनी उत्पादनकर्ताओं और भारतीय खरीददारों को लाभ होता है। कोई भी देश अपने आप में पूरी तरह परिपूर्ण नहीं है, इसलिए व्यापार काफी महत्वपूर्ण होता है।
- हालांकि लगातार व्यापार घाटा बढ़ते रहना सरकारों पर एक गंभीर सवाल खड़े करता है कि क्या वे अपने यहां ऐसी व्यवस्था नहीं तैयार कर पाए, जो देश के लोगों की जरूरतों और उनकी खर्च क्षमता के हिसाब से सामान तैयार कर पाए। देश में उचित कौशल विकास, विज्ञान एवं तकनीक और रोजगार के मौके उपलब्ध कराए बिना अचानक से व्यापार पर रोक लगाना उन लोगों के लिए संकट खड़े करना है जो सस्ते दाम में उपलब्ध उत्पाद को खरीद कर अपनी जरूरतों को पूरा कर पाते हैं। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि भारत अच्छी-खासी मात्रा में चीन को अपने यहां का सामान निर्यात करता है और यदि व्यापार पर रोक लगाई जाती है तो भारत को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।

- भारत अपने कुल निर्यात का 5.32 फीसदी हिस्सा चीन को निर्यात करता है। यह अमेरिका को 16.92 फीसदी निर्यात और यूएई को 9.31 फीसदी निर्यात के बाद चीन भारत द्वारा निर्यात के लिए तीसरा सबसे बड़ा देश है। हालांकि व्यापार प्रतिबंध से चीन पर खास प्रभाव नहीं पड़ने की संभावना है।
- चीन अपने कुल निर्यात का सिर्फ तीन फीसदी हिस्सा भारत को निर्यात करता है। वहीं चीन अपने कुल आयात का सिर्फ 0.9 फीसदी भारत से आयात करता है। यह भारत द्वारा अंगोला से किया जाने वाला 0.75 फीसदी, कनाडा से 0.82 फीसदी, मेक्सिको से 0.86 फीसदी, नीदरलैंड से 0.71 फीसदी, ओमान से 0.72 फीसदी और ताइवान से 0.84 फीसदी आयात से सिर्फ थोड़ा ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि यदि भारत-चीन के साथ व्यापार बंद करता है तो चीन को तीन फीसदी निर्यात और एक फीसदी से कम आयात का नुकसान होगा, जबकि भारत को पांच फीसदी निर्यात और 14 फीसदी आयात खोने का खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
- भारत और चीन के बीच व्यापार प्रतिबंध लगाने पर सबसे ज्यादा नुकसान मध्यम और निम्न आय वर्ग वालों को ही झेलना पड़ेगा। इसकी वजह बिल्कुल साफ है। भारत में चीनी सामानों की मांग इसलिए ज्यादा है, क्योंकि अन्य देशों के उत्पादों की तुलना में ये सस्ते और भारत की बड़ी आबादी की आय क्षमता के अनुकूल रहते हैं।
- इसके विपरीत यहां पर अभी तक ऐसी मजबूत व्यवस्था या बाजार नहीं तैयार हो पाया है जो सस्ती दर पर गरीबों को सामान मुहैया करा पाए। मोबाइल, टीवी, फैन, कंम्प्यूटर, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन जैसे ढेरों चीनी उत्पादों की कीमत अन्य देशों के उत्पादों की तुलना में काफी सस्ता है। इसके अलावा व्यापार पर प्रतिबंध लगाने से इस क्षेत्र में कार्यरत भारतीय कर्मचारियों पर भी काफी प्रभाव पड़ेगा। भारतीय आयातकों, निर्यातकों और उत्पादनकर्ताओं पर इसका बुरा असर पड़ेगा। आमतौर पर छोटे दुकानदार चीनी सामानों को दूर-दराज इलाकों में ले जाकर बेचते हैं, इसलिए प्रतिबंध से उनकी आजीविका को भी काफी खतरा पहुंचेगा।

विदेशी निवेश पर खतरा

- इस तरह अचानक व्यापार पर प्रतिबंध लगाने से विदेशी निवेशकों के मन में भारत की छवि काफी खराब हो सकती है। मालूम हो कि लॉकडाउन के दौरान बिगड़े आर्थिक हालात से उबरने के नाम पर जब विभिन्न राज्य सरकारें श्रम कानूनों में ढील दे रही थीं तो उन्होंने ये दलील दी थी कि इससे वे राज्य में निवेश बढ़ाने में सफल होंगे।
- हालांकि कोई भी निवेशक, खासकर विदेशी, इस रवैये पर सहमति नहीं जताएगा कि आनन-फानन में देश व्यापार करार तोड़ दे और एक झटके में अपनी नीतियों को बदल दे। इससे व्यापार की सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) की रैंकिंग भी प्रभावित हो सकती है। चूंकि देश इस समय भयावह आर्थिक संकट की स्थिति से गुजर रहा है, ऐसे में इस तरह का कोई प्रतिबंध भारत के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ा कर सकता है।

भारत के पास विकल्प

- भारत के हाथ विश्व व्यापार संगठन (WTO) के नियमों से बंधे हैं। WTO किसी भी देश को आयात पर भारी-भरकम प्रतिबंध लगाने से रोकता है। भारत के पास एक विकल्प यह है कि वह चीन को दिया सबसे पसंदीदा राष्ट्र का दर्जा वापस ले सकता है किन्तु जानकारों का मानना है कि इससे चीन पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ने वाला है।
- कई ऐसी वस्तुएं हैं जो चीन से बड़ी संख्या में आयात की जाती हैं जो भारत में पहले से बन रही हैं और हम चाहें तो इन वस्तुओं का उत्पादन हमारे देश में और बढ़ा सकते हैं, इन वस्तुओं में कोई बहुत अधिक तकनीक की आवश्यकता नहीं है। इस संदर्भ में MSME श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले सभी स्थानीय उद्योगों को आवश्यक प्रौद्योगिकी, वित्त और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए आवश्यक समर्थन के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए।
- बहुत सारी आवश्यक तकनीकी स्तरों की आइटम जैसे ऑटो पार्ट्स, मशीनरी और इंजीनियरिंग पार्ट्स आदि के लिए चीन की निर्भरता को खत्म करने के लिए अन्य विकल्प तलाशना चाहिए और भारत में इनकी तकनीक को विकसित करना चाहिए।
- उच्च टेक्नोलॉजी की वस्तुओं का चीन से आयात रोकने के लिए दूसरे देशों से इसका विकल्प तलाशना चाहिए। साथ ही भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए ईज ऑफ डुइंग बिजनेस को प्रोत्साहन देना होगा।

आगे की राह

- चीनी वस्तुओं का बहिष्कार या पूर्ण प्रतिबंध लगाने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। अगर चीन पर दबाव बनाना है तो भारत को चीन के साथ आयात-निर्यात में कायम असंतुलन को पाटने की कोशिश करनी होगी। यह भी सुझाव दिया गया है कि भारत को चीन के साथ मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट पर फिर से विचार करना चाहिए। ध्यान दें कि निकट भविष्य में यह लोगों की आहत भावनाओं को शांत कर सकता है, मगर यह भारत जैसे देश के लिए बेहद हानिकारक होगा जो विदेशी निवेश को आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है।
- यदि कोई देश नीतियों को रातोंरात बदले, नए टैक्स फौरी तौर पर लगा दे या सरकार खुद कॉन्ट्रैक्ट रोक दे तो कोई भी निवेशक निवेश नहीं करेगा। सही मायनों में भारत को अपनी प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ाकर वैश्विक व्यापार में बड़ा हिस्सा हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- भारत एवं इसके पड़ोसी-संबंध।

प्र. चीने से आयातित वस्तुओं पर भारत द्वारा जो प्रतिबंध लगाया जा रहा है, उससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर विपरीत असर पड़ सकता है। विश्लेषण करें।

05 संयुक्त राष्ट्र संघ में भारतीय जीत के मायने

चर्चा का कारण

- हाल ही में भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) का अस्थाई सदस्य चुना गया है।

महत्वपूर्ण बिन्दु

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थाई सदस्य के रूप में भारत का चुनाव दो वर्षों (वर्ष 2021-22 के बीच) के लिए हुआ है।
- 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 75वें सत्र के लिए अध्यक्ष, सुरक्षा परिषद के अस्थाई सदस्यों और आर्थिक व सामाजिक परिषद के सदस्यों के लिए चुनाव कराया था।
- गौरतलब है कि भारत को पहली बार 1950 में अस्थाई सदस्य के रूप में चुना गया था और अब आठवीं बार यह जिम्मेदारी मिली है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद

- प्रथम विश्व युद्ध (1914-18) तक विश्व में सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत नहीं था। प्रत्येक देश को अपनी सुरक्षा स्वयं करनी होती थी। स्वयं से सुरक्षा के कई नुकसान थे-
  - देशों के बीच हथियारों की होड़ लगी रहती थी।
  - आपस में सभी एक-दूसरे पर शक करते थे, इससे युद्ध की संभावना बनी रहती थी।
- प्रथम विश्व युद्ध की भारी तबाही को देखते हुए लीग ऑफ नेशन्स (राष्ट्र संघ) का सिद्धांत आया, लेकिन लीग ऑफ नेशन्स व्यवहारिक तौर पर कार्य नहीं कर पायी और दुनिया को द्वितीय विश्व युद्ध का दंश सहना पड़ा।
- द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सामूहिक सुरक्षा की प्रबल रूप से आवश्यकता महसूस की गयी। सन् 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ (यूएनओ) का निर्माण हुआ।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी), संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख अंग है जो इससे संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों को लेता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि यूएनएससी, संयुक्त राष्ट्र संघ का नाभिक (Nucleus) है।
- अगर यूएनएससी के कार्य प्रभावित होते हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ के भी कार्य गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं। यही कारण है कि यूएनएससी में सुधारों की बात की जाती है ताकि संयुक्त राष्ट्र जैसी महत्वपूर्ण बहुपक्षीय संस्था प्रासंगिक बनी रहे।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को महान शक्ति क्लब (Great Power Club) भी कहा जाता है।

यूएनएससी से संबंधित चार्टर में प्रावधान

- संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के 7वें चेप्टर में सामूहिक सुरक्षा से संबंधित प्रावधान वर्णित हैं।
- चार्टर में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को वैश्विक शांति स्थापित करने की जिम्मेदारी दी गयी है।
- चार्टर के अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि दो या दो से अधिक देशों में संघर्ष/युद्ध की स्थिति में यूएनएससी अनंतिम उपायों (Provisional Measures) अर्थात् सीजफायर, मध्यस्थता आदि का फैसला ले सकती है।
- चार्टर के अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संघर्ष या युद्ध की स्थिति में किसी देश के विरुद्ध दंडात्मक उपायों (Punitive Measures) अर्थात् प्रतिबंधों को अमल में ला सकती है।
- संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 42 में कहा गया है कि यूएनएससी आक्रमणकारी देश के विरुद्ध सैन्य बल का भी प्रयोग कर सकती है। इसके लिए सैन्य स्टॉफ समिति (Military Staff Committee) के गठन की भी बात की गयी है।
- सैन्य स्टॉफ समिति, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों से सैन्य संसाधनों को एकत्र करके त्वरित कार्यवाई को सुनिश्चित करती है। हालाँकि संयुक्त राष्ट्र के निर्माण के बाद से अब तक सैन्य स्टॉफ समिति का गठन नहीं हुआ है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अपना सही से कार्य नहीं कर पायी है।

यूएनएससी में सुधार

- यूएनएससी में सुधारों की माँग काफी पुरानी है जिसे दुनिया के ज्यादातर देश विभिन्न तरीकों से उठाते हैं।
- जब यूएनओ का गठन हुआ था तो इसमें सदस्यों की संख्या मात्र 51 थी और यूएनएससी में 11 सदस्य (पाँच स्थाई और 6 अस्थाई) थे। सन् 1963 तक आते-आते यूएनओ में सदस्य देशों की संख्या 113 तक पहुँच गयी, अतः यूएनएससी में सदस्यों की संख्या भी बढ़ाकर 15 (5 स्थाई और 10 अस्थाई) कर दी गयी। लेकिन 1963 से लेकर आज तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सदस्य देशों की संख्या (स्थाई एवं अस्थाई दोनों) में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है जबकि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य देशों की संख्या 193 तक पहुँच गयी है। इसलिए यूएनओ की व्यापकता को देखते हुए यूएनएससी में भी विस्तार की माँग की जाती है ताकि यूएनओ के कार्य सुचारू रूप से चल सकें।
- अभी यूएनएससी में स्थाई सदस्य देशों का क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व भी सही नहीं है। जहाँ एक तरफ यूरोप महाद्वीप का यूएनएससी की स्थाई सदस्यता में आधिक्य प्रतिनिधित्व (Our Representation) है (क्योंकि यूके, फ्रांस और रूस की यूएनएससी में स्थाई सदस्यता है) तो वहीं दूसरी तरफ अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका आदि महाद्वीपों से एक भी देश स्थाई सदस्य नहीं है।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो स्थाई सदस्य हैं, उनमें लगभग सभी विकसित देश हैं। विकासशील एवं गरीब देशों का यूएनएससी में स्थाई प्रतिनिधित्व न के बराबर है। जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकतर गतिविधियाँ इन्हीं देशों में होती हैं।

यूएनएससी में स्थाई सदस्यता के लाभ

- यूएनएससी में स्थाई सदस्यों के पास वीटो शक्ति है। इसलिए यूएनएससी से ऐसा कोई

भी प्रस्ताव पारित नहीं हो पाता है, जो स्थाई सदस्य के हितों के विरुद्ध हो। इस प्रकार स्थाई सदस्यता द्वारा कोई देश अपने राष्ट्रीय हितों को और अधिक सही ढंग से साध सकता है।

- यूएनएससी के स्थाई सदस्य की संयुक्त राष्ट्र संघ की सभी संस्थाओं में सदस्यता होती है।
- यूएनएससी के स्थाई सदस्य की वैश्विक प्रतिष्ठा अपेक्षाकृत बेहतर होती है।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सब्स्टेन्सिव मामले तब तक पारित नहीं होते हैं जब तक सभी स्थाई सदस्यों की सहमति प्राप्त न हो जाये।
- यूएनएससी में कौन मामला सब्सटेन्सिव होगा और कौन सा प्रक्रियात्मक (Procedural), यह भी स्थाई सदस्य ही निर्धारित करते हैं।

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दो तरह के मामले होते हैं- प्रक्रियात्मक और मौलिक। प्रक्रियात्मक मामले तब पारित होते हैं जब यूएनएससी के 15 सदस्यों में से 9 सदस्य (स्थाई एवं अस्थाई दोनों मिलाकर) अपनी सहमति दे दें। लेकिन मौलिक मामले तब पारित हो पाते हैं जब 15 सदस्यों में 9 सदस्य अपनी सहमति दें। विदित हो कि और 9 में पाँचों स्थाई सदस्यों की अनुमति अनिवार्य है।

यूएनएससी में सुधारों से संबंधित ग्रुप

- यूएनएससी में सुधारों की माँग उठाने हेतु विभिन्न देशों ने कुछ ग्रुप बना रखे हैं, यथा-जी-4, काफी क्लब, अफ्रीकी संघ, एल-69 ग्रुप, अरब लीग और इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी)।

- जी-4 ग्रुप में ब्राजील, भारत, जापान और जर्मनी शामिल हैं। यूएनएससी में ये देश अपनी-अपनी स्थाई सदस्यता निर्धारित करने हेतु एक साथ आये हैं।
- जी-4 ग्रुप के विरुद्ध कॉफी क्लब (Coffee Club) का निर्माण हुआ है। इसमें लगभग 42 विकासशील देश शामिल हैं, जिसमें प्रमुख इटली, पाकिस्तान, अर्जेण्टीना आदि हैं। इस ग्रुप का कहना है कि जी-4 ग्रुप के देशों को यूएनएससी में सदस्यता न दी जाये क्योंकि वो क्षेत्रीय नेतृत्व नहीं करते हैं। काफी क्लब यह भी कहता है कि यदि यूएनएससी में किसी भी प्रकार के सुधार लाये जायें तो उसमें सर्वसहमति होनी चाहिए।
- अफ्रीकी संघ 53 अफ्रीकी देशों का संघ है जो यह कहता है कि यूएनएससी में अफ्रीका महाद्वीप से कम से कम दो देशों को स्थाई सदस्यता प्राप्त होनी चाहिए।

निष्कर्ष

- आज जब पूरा विश्व अभूतपूर्व वैश्विक चुनौतियों (यथा-कोरोना वायरस, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, शरणार्थी समस्या आदि) से जूझ रहा है तब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसी महत्वपूर्ण संस्था में सुधार अति आवश्यक हो जाते हैं ताकि इन चुनौतियों का आसानी से सामना किया जा सके।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/ अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते।
- महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएं और मंच-उनकी संरचना, अधिदेश।

प्र. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के बारे में संक्षिप्त विवरण देते हुए बताएँ कि इस संस्था में किस प्रकार के सुधार अपेक्षित हैं?

06 आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं : सर्वोच्च न्यायालय

चर्चा का कारण

- हाल ही में तमिलनाडु के लगभग सभी राजनीतिक दलों ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका दायर की। इसमें माँग की गयी थी कि राज्य के मेडिकल कॉलेजों में ओबीसी आरक्षण को 50 फीसद कर दिया जाये। इस संदर्भ में अब सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की मांग पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।

पृष्ठभूमि

- तमिलनाडू के याचिकाकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर, चिकित्सा और दंत विज्ञान पाठ्यक्रमों में अखिल भारतीय कोटा के अंतर्गत सीटों के लिए पिछड़े वर्गों तथा अति पिछड़े वर्गों के लिए निर्धारित 50% कोटा लागू नहीं करने तथा तमिलनाडु के लोगों के लिए उचित शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था।
- दायर याचिका में कहा गया कि राज्य में ऐसे आरक्षण के लागू न होने से इसके निवासियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, आरक्षण प्रदान करने हेतु न तो तमिलनाडु पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (शैक्षणिक संस्थानों में सीटों का आरक्षण और सरकारी सेवाओं में नियुक्ति) कानून, 1993 का पालन कर रहे हैं। जिसके अंतर्गत अखिल भारतीय कोटा के तहत स्नातक पाठ्यक्रमों में तथा तमिलनाडु में स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम में ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 50% आरक्षण प्रदान करना है और न ही अन्य राज्यों के लिए स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम तथा अखिल भारतीय कोटा में ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण प्रदान कर रहे हैं।
- इसके अलावा दायर याचिका में कहा गया कि केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों (आरक्षण और प्रवेश) अधिनियम, 2006 के प्रावधान जो केवल केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में ओबीसी उम्मीदवारों को 27% आरक्षण देते हैं, एक विसंगति है- जो कि राज्यों और निजी पार्टियों द्वारा संचालित संस्थानों को एक अलग वर्ग मानता है, जिसमें आरक्षण का एक अलग नियम है।

- याचिका दायर करने के पीछे तर्क दिया गया कि शिक्षा के अधिकार और आरक्षण के अधिकार को बनाए रखने के लिए, हाशिए के वर्गों के लिए, उन्हें व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना समाज के ऐसे वर्गों को सशक्त बनाने के लिए बहुत आवश्यक है।
- इस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय का कहना है कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है, इसलिए, इस मामले में अनुच्छेद 32 लागू नहीं किया जा सकता। आरक्षण लाभ नहीं दिया जाना किसी भी संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्त्ताओं को उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की अनुमति प्रदान करते हुए याचिका वापस लेने को कहा है।
- इसके पहले फरवरी 2020 में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि सार्वजनिक नौकरियों में आरक्षण का दावा करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है और कोई अदालत, राज्य सरकार को SC/ST को आरक्षण देने का आदेश नहीं दे सकती।

आरक्षण संबंधी संवैधानिक प्रावधान

- आरक्षण शिक्षा, रोजगार और राजनीति के लिए भारतीय समाज में ऐतिहासिक और वर्तमान में वंचित समूहों के लिए प्रतिनिधित्व प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 15(4) तथा 16(4) में कहा गया है कि संविधान में उल्लिखित 'समानता' संबंधी प्रावधान सरकार को पिछड़े वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के पक्ष में शिक्षण संस्थानों अथवा नौकरियों में प्रवेश हेतु विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकते हैं।
- अनुच्छेद 16(4A) के अनुसार, राज्य सरकारें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पक्ष में पदोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिये कोई भी प्रावधान कर सकती हैं यदि राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में

उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। इसका उद्देश्य हमारे संविधान की प्रस्तावना में समानता के वादे को साकार करना है।

- इंदिरा साहनी केस ने सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को एक श्रेणी के रूप में तथा 27 प्रतिशत आरक्षण की वैधता को मान्यता दी। इसने आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा निर्धारित की थी।
- 2019 से 103वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सरकारी नौकरियों और शिक्षा के क्षेत्र में 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

वर्तमान आरक्षण प्रणाली

- अनुसूचित जाति (एससी) - 15%
- अनुसूचित जनजाति (STs) - 7.5%
- अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) - 27%
- आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) - 10%

अनुच्छेद 32

- संविधान का यह अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार कोई व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है, यदि उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है।
- संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों की रक्षा करने तथा इनके प्रवर्तन हेतु, बंदी प्रत्यक्षीकरण,परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार पृच्छा रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है।
- अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार मूल है लेकिन अनन्य नहीं है। यह अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के साथ समवर्ती है। इसका अर्थ यह है कि किसी व्यक्ति को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में, उच्च न्यायालय या सीधे सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने का विकल्प है। हालाँकि उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट की सुनवाई से मना नहीं कर सकता जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय सुनवाई के लिये याचिका स्वीकार करने से मना कर सकता है क्योंकि अनुच्छेद 226 मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है।

NEET (राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा)

- यह भारतीय मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में एमबीबीएस और बीडीएस कार्यक्रमों के लिए क्वालीफाइंग टेस्ट है।
- यह नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा संचालित किया जाता है।
- राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) की स्थापना भारतीय सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत सोसायटी के रूप में की गई थी।
- इसकी अध्यक्षता मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नियुक्त एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद् द्वारा की जाती है। यह एक स्वायत्त और आत्मनिर्भर प्रीमियर परीक्षण संगठन है।

- अनुच्छेद 32 के तहत संसद, इन रिट्स को जारी करने के लिए किसी अन्य न्यायालय को भी प्राधिकृत कर सकती है। हालांकि, अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
- अनुच्छेद 32 के तहत अधिकार, अनुच्छेद 359 द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी अन्य द्वारा निलंबित नहीं किया जा सकता है।

निष्कर्ष

- इस निर्णय के बाद आरक्षण संबंधी मामलों में रिट याचिका अब सीधे सर्वोच्च न्यायालय के बजाय उच्च न्यायालयों में लगानी पड़ेगी क्योंकि उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता में मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य मामले भी शामिल होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के अनुसार आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है।
- हालाँकि आरक्षण योग्यता का सबसे बड़ा दुश्मन है जो कई प्रगतिशील देशों की नींव है। परन्तु योग्यता के आधार के रूप में समानता सुनिश्चित करने के लिए अर्थात सभी लोगों को योग्यता के आधार पर न्याय देने से पहले उन्हें समान स्तर पर लाया जाना आवश्यक है।

सामान्य अध्ययन पेपर–2

Topic:

- भारतीय संविधान-ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना।
- सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न मुद्दे।

प्र. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए कथन 'आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है' का विश्लेषण करें।

07 वन सन–वन वर्ल्ड–वन ग्रीड : हरित एवं सतत् ऊर्जा

चर्चा का कारण

- वैश्विक इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड बनाने के मकसद से केंद्र सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने महत्वाकांक्षी योजना 'वन सन-वन वर्ल्ड-वन ग्रिड' (One Sun One World One Grid-OSOWOG) अर्थात 'एक सूर्य, एक दुनिया, एक ग्रिड' बनाने का प्रोजेक्ट तैयार किया है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए सरकार ने टेंडर मंगाने के लिए निविदा पत्र जारी किया है।

प्रमुख बिन्दु

- केंद्र सरकार के अनुरोध प्रस्ताव में कहा गया है कि 'एक सूर्य, एक दुनिया, एक ग्रिड' कार्यक्रम के तहत देश भर में स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति के लिये परस्पर संबद्ध बिजली पारेषण ग्रिड की परिकल्पना की गयी है। इस योजना के पीछे दृष्टिकोण यह है कि सूर्य कभी अस्त नहीं होता और दिये हुए समय पर कुछ स्थानों, देशों में स्थिर होता है।
- इसमें कहा गया है कि भारत देश का आधार केंद्र में होने के साथ सौर स्पेक्ट्रम को दो व्यापक क्षेत्रों में आसानी से बांटा जा सकता है, जैसे सुदूर पूर्व और सुदूर पश्चिम। सुदूर पूर्व में म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया आदि देश आते हैं, जबकि सुदूर पश्चिम में पश्चिम एशिया तथा अफ्रीका क्षेत्र आएंगे।
- अनुरोध प्रस्ताव में कहा गया है कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को सुदूर पूर्व और सुदूर पश्चिम क्षेत्रों के 140 से अधिक देशों के बीच तालमेल बनाने, ऊर्जा नीति जारी करने और वैश्विक सहयोग के लिये रूपरेखा स्थापित करने को लेकर महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। इसमें कहा गया है कि इस पहल के जरिये भारत की परस्पर संबद्ध नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के लिये वैश्विक परिवेश तैयार करने में एक और बड़ा कदम उठाने की योजना है।
- यह परस्पर लाभ और दुनिया के सतत विकास के लिये होगा। 'एक सूर्य, एक दुनिया, एक ग्रिड' के तीन चरण होंगे। पहले चरण में पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ा जाएगा। दूसरे चरण में नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन के मामले में दूसरे संपन्न क्षेत्रों को जोड़ा जाएगा। तीसरा चरण 'एक सूर्य, एक दुनिया, एक ग्रिड' के दृष्टिकोण को हासिल करने के लिये बिजली पारेषण ग्रिड के वैश्विक स्तर पर परस्पर संबद्ध के लिये होगा।
- प्रस्ताव में कहा गया है कि परस्पर संबद्ध ग्रिड सभी शामिल इकाइयों को नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश हासिल करने के साथ कौशल, प्रौद्योगिकी में मदद करेगा। इसके अनुसार इससे जो आर्थिक लाभ होगा, उससे गरीबी उन्मूलन, साफ-सफाई, खाद्यान्न और अन्य सामाजिक आर्थिक चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी। पुनः प्रस्तावित एकीकरण से इसमें शामिल सभी इकाइयों के लिये परियोजना की लागत कम होगी, दक्षता बढ़ेगी और संपत्ति का उपयोग बढ़ेगा।

सौर ऊर्जा प्रसार के लिये भारत सरकार का विजन

- भारत ने इसके अलावा एक विश्व सोलर बैंक के गठन का प्रस्ताव भी किया है जिससे अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के मिशन को पूरा करने के लिए वित्त और प्रौद्योगिकी की लागत में कमी लाई जा सके। यह बैंक कुल 10 बिलियन डॉलर का हो सकता है जिसकी चुकता पूंजी दो बिलियन डॉलर हो सकती है। इस प्रस्तावित सोलर बैंक में भारत की हिस्सेदारी 30 प्रतिशत तक हो सकती है। दरअसल भारत की मंशा है कि ऐसे बैंक का मुख्यालय भारत में ही स्थित हो, जिससे इस दिशा में उसे एक प्रभावी बढ़त मिल सके। चीन में ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ ही एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का मुख्यालय है। इन बैंकों के काम-काज पर चीन ने निगाह लगा रखी है जिसका उसे फायदा भी मिला है।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनियाभर में सौर ऊर्जा प्रसार के लिये 'एक विश्व, एक सूर्य, एक ग्रिड' का आह्वान करते हुए वर्ष 2018 में कहा था कि देश में 2030 तक 40 फीसदी बिजली उत्पादन सौर और पवन जैसे अक्षय ऊर्जा संसाधनों से किया जायेगा।
- भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रदूषण फैलाने वाले कोयला की बजाय सौर और पवन ऊर्जा क्षेत्र में व्याप्त संभावनाओं को भुनाने की दिशा में काम कर रहा है। भारत सरकार को उम्मीद है कि 121 देशों का अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन आने वाले समय में विश्व की ऊर्जा जरूरतों के क्षेत्र में वही भूमिका निभाएगा, जो वर्तमान

में तेल निर्यातक देशों का संगठन 'ओपेक' निभा रहा है।

- अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी (IRENA) के सर्वेक्षण के अनुसार, भारत पूरी दुनिया में सबसे सस्ती सौर ऊर्जा का उत्पादन करने वाला देश बन गया है। एजेंसी ने इस संबंध में एक तालिका बनाई थी, जिसको दिखाते हुए वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम ने सौर ऊर्जा का उत्पादन करने वाले 19 देशों की सूची जारी की। सूची के अनुसार सबसे महंगी सौर ऊर्जा कनाडा में उत्पादित की जाती है, जबकि भारत में सबसे सस्ती।
- ग्लोबल ग्रिड की योजना का भारत की ओर से सहसंस्थापित इंटरनेशनल सोलर अलायंस (आईएसए) को भी लाभ मिलेगा। आईएसए में भारत समेत 67 देश शामिल हैं। यह क्लाइमेट चेंज पर भारत का कॉलिंग कार्ड है और इसे विदेश नीति के एक औजार के रूप में देखा जा रहा है।
- भारत सरकार ने 2022 के आखिर तक 175 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसमें से 60 गीगावॉट पवन ऊर्जा से, 100 गीगावॉट सौर ऊर्जा से, 10 गीगावॉट बायोमास ऊर्जा से तथा पांच गीगावॉट लघु पनबिजली से शामिल है। इस विजन को गति देने के लिए इस क्षेत्र में वैश्विक सहयोग की आवश्यकता पर बल देना भारत की दूरदर्शिता को दर्शाता है।
- ग्रिड कनेक्टेड नवीकरणीय ऊर्जा के तहत पिछले साढ़े तीन वर्षो के दौरान 27 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा का क्षमता संवर्धन किया गया है जिसमें सौर ऊर्जा से 12.8 गीगावॉट, पवन ऊर्जा से 11.7 गीगावॉट, लघु पनबिजली से 0.59 गीगावॉट तथा जैव ऊर्जा से 0.79 गीगावॉट शामिल है। स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र की वृद्धि दर से उत्साहित होकर भारत सरकार ने लक्षित राष्ट्रीय निर्धारित योगदान पर संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन संरचना सम्मेलन को प्रस्तुत अपने प्रतिवेदन में कहा है कि, भारत प्रौद्योगिकी के अंतरण एवं हरित जलवायु निधि समेत निम्न लागत अंतरराष्ट्रीय वित्त की सहायता से 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से 40 प्रतिशत संचयी बिजली ऊर्जा क्षमता अर्जित करेगा।

भारत के लिए महत्व

- पेरिस जलवायु समझौते से यूएसए के अलग होने के बाद भी 'एक सूर्य, एक दुनिया, एक ग्रिड' कार्यक्रम स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत प्रदान करके जलवायु पर इसके बुरे प्रभाव को कम करने में मदद करेगा इसके अलावा सदस्य देशों को वैश्विक रूप से ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) को पूरा करने में सक्षम बनाएगा।
- ऐसी सीमापारीय ऊर्जा परियोजनाओं को दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों, मध्य पूर्व और अफ्रीकी देशों के साथ मिलकर शुरू कर भारत वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में नेतृत्वकारी भूमिका निभाने की मंशा रखता है। विश्लेषक मानते हैं कि 'वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड' का विचार भारत ने चीन के 'वन बेल्ट वन रोड' पहल के तर्ज पर कर चीन को अपनी वैश्विक भूमिका की पहचान कराने के लिए की है। भारत को अपनी क्षमता और सीमाएं पता हैं कि वह किस स्तर तक किसी वैश्विक परियोजना को आगे ले जा सकता है और किस स्तर तक निवेश, कर्ज और अनुदान दे सकता है।
- चीन ने अपनी वन बेल्ट वन रोड (OBOR) पहल में कई देशों का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया है, जो एशिया, अफ्रीका और यूरोप में रेलवे, बंदरगाहों और बिजली ग्रिड सहित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में अरबों डॉलर का निवेश कर रहा है। 'एक सूर्य, एक दुनिया, एक ग्रिड' कार्यक्रम (OSOWOG) भारत के पक्ष में एक रणनीतिक संतुलन प्रदान करेगा और एशियाई उपमहाद्वीप में बढ़ते चीनी प्रभुत्व को नियंत्रित करेगा।
- भारत ने सौर ऊर्जा के मुद्दे पर अफ्रीकी देशों को भी लामबंद करने की कोशिश शुरू कर दी है। कई अफ्रीकी देश भारत के नेतृत्व वाले इंटरनेशनल सोलर अलायंस के सदस्य हैं, वहीं दूसरी तरफ चीन ने अफ्रीकी देशों को अपने एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के साथ जोड़ने में हाल में सक्रियता दिखाई है। पिछले वर्ष ही बेनिन, रवांडा और जिबूती को चीन के नेतृत्व वाले इस बैंक का सदस्य बनाया गया है।
- वर्तमान विश्व व्यवस्था में अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करने के लिए कोई भी तरीका राष्ट्रों द्वारा अपनाया जा सकता है। चाहे ऊर्जा कूटनीति हो, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या अन्य निवेश हो या फिर ऋण और अनुदान देकर राष्ट्रों को कृपा पात्र बनाना हो, ऐसे तरीकों से राष्ट्र अपने हितों को सिद्ध करने में लगे रहते हैं। भारत ने भी इन तरीकों पर अमल कर विश्व और क्षेत्रीय राजनीति में अपने व्यापक उद्देश्यों को प्राप्त करने की कवायद शुरू कर दी है।

आगे की राह

- भारत ने विश्व समुदाय को संदेश दिया है कि वह सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े-बड़े दावे और वादे करने तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रभावी स्तर पर जीवाश्म ईंधन से लड़ाई लड़ते हुए नवीकरणीय ऊर्जा को अपनी ऊर्जा सुरक्षा का वास्तविक आधार बनाने के लिए सक्रिय भी है।
- अब भारत को यह देखना है कि सौर ऊर्जा और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा के जिन बड़े लक्ष्यों को उसने तय किया है उसके मार्ग की वास्तविक बाधाओं जैसे वित्तीय व्यवस्था समेत तकनीक हस्तांतरण के लिए भी उपयुक्त रणनीति बनानी होगी, साथ ही स्वदेशी सौर प्रौद्योगिकी के विकास पर बल देना होगा।

सामान्य अध्ययन पेपर-3

Topic:

- बुनियादी ढांचाः ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि।

प्र. वन सन-वन वर्ल्ड-वन ग्रिड का संक्षिप्त परिचय देते हुए बताएं कि क्या अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईसा) आने वाले समय में विश्व की ऊर्जा जरूरतों के क्षेत्र में वही भूमिका निभाएगा, जो वर्तमान में तेल निर्यातक देशों का संगठन 'ओपेक' निभा रहा है ?

7 महत्वपूर्ण ब्रेन बूस्टर्स

01 गाफा (GAFA) टैक्स

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में फ्रांस ने GAFA कर पर गतिरोध की पुष्टि कर दी है। इस संदर्भ में फ्रांस ने डिजिटल कंपनियों द्वारा देश में अर्जित कुल राजस्व पर 3% GAFA टैक्स लगाने का निर्णय लिया है।

2. पृष्ठभूमि

- कुछ महीने पहले आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (Organisation for Economic Co-operation and Development) के संरक्षण में 137 देशों द्वारा 2020 के अंत तक बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनियों पर कर लगाने के लिए एक समझौते पर बातचीत करने हेतु सहमति व्यक्त की गयी थी।
- इसके लिए फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और स्पेन ने OECD के लिए एक निष्पक्ष डिजिटल कर प्रणाली पर अपनी सहमति की पुष्टि कर दी है, परन्तु अमेरिका ने डिजिटल व्यवसायों के दीर्घानुभवीयों के लिए वैश्विक कर प्रणाली को दुरस्त करने हेतु चल रही वार्ता से स्वयं को अलग कर लिया है।

3. गाफा (GAFA) टैक्स क्या है?

- GAFA टैक्स का नामकरण Google, Apple, Facebook, तथा Amazon कंपनियों के नाम को मिलाकर किया गया है। यह विश्व की बड़ी प्रौद्योगिकी तथा इंटरनेट कंपनियों पर लगाया जाने वाला एक प्रस्तावित डिजिटल कर है।

4. समस्याएं

- अमेरिकी अधिकारियों ने यूरोपीय देशों से असहमति जताते हुए कहा है कि यह कदम अमेरिकी फर्मों के प्रति भेदभावपूर्ण है। अमेरिका का मानना है कि वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय कर नियमों में नए कर-प्रावधानों के लिए व्यापक रूप से पुनर्गठन की आवश्यकता है।
- अमेरिका ने कर संबंधी वार्ता से अपने को अलग कर लिया है, जिससे ट्रांस-अटलांटिक व्यापार विवाद के पुनः भड़कने की संभावना उत्पन्न हो गयी है। इसका एक प्रमुख कारण यह है कि फ्रांस के साथ-साथ यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, इटली तथा अन्य देशों ने बड़ी डिजिटल कंपनियों पर कर लगा दिया है।

5. भारत में डिजिटल टैक्स संबंधी नवीनतम संशोधन

- भारत में 560 मिलियन से अधिक लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं। भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा ऑनलाइन उपयोगकर्ता है। कुछ समय पूर्व भारतीय कराधान में, डिजिटल माध्यमों से अर्जित आय को उचित कर-प्रणाली के अंतर्गत लाने हेतु दो महत्वपूर्ण संशोधन प्रस्तावित किए गए-
- **इक्विलाइजेशन लेवी (Equalization Levy)**
- भारत ने पहली बार वर्ष 2016 में समतुल्य लेवी लागू की थी। इस प्रावधान में नया संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी हुआ है, इसके अंतर्गत, कर आधार को ऑनलाइन विज्ञापन से बढाकर लगभग सभी ऑनलाइन वाणिज्य गतिविधियों तक विस्तृत कर दिया गया है।
- **महत्त्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति मॉडल की अवधारणा (Significant Economic Presence Model- SEP)**
- भारत सरकार द्वारा अपनाए गए मानदंड के अनुसार एक गैर-निवासी कंपनी को निम्न स्थितियों में SEP के अंतर्गत माना जाता है:
  - यदि भारत के भीतर अनिवासी कंपनी या व्यवसाय द्वारा किये गए लेनदेन के माध्यम से उसे निर्धारित की गई राशि से अधिक राजस्व प्राप्त होता है।
  - यदि गैर-निवासी व्यवस्थित रूप से और लगातार भारत में डिजिटल माध्यमों से व्यापार करता है।
- SEP का उपयोग विदेशों में स्थिति परन्तु भारत में व्यवसाय करने वाली कंपनियों को देश के कर-दायरे में लाने के लिए किया जाता है।

02 कानून का शासन सूचकांक (Rule of Law Index)

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने कानून का शासन सूचकांक 2020 से संबंधित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। इस याचिका द्वारा कानून का शासन सूचकांक में भारत की निम्न स्थिति को सुधारने पर केन्द्र, राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को विशेषज्ञों की समितियां गठित करने की मांग की गयी थी।

2. पृष्ठभूमि

- वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा जारी कानून का शासन सूचकांक (रूल ऑफ लॉ इंडेक्स-2020) में भारत को 69 वाँ रैंकिंग प्रदान किया गया है।
- रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में, शासकीय खुलापन, मौलिक अधिकार, दीवानी और फौजदारी न्याय व्यवस्था तथा भ्रष्टाचार पर अंकुश, नियमों के प्रवर्तन जैसे आठ मापदंडो पर भारत का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है।
- इस सूचकांक में भारत को कभी भी शीर्ष 50 देशों के मध्य स्थान नहीं मिला है, इसके बावजूद भी विभिन्न सरकारों द्वारा भारत की अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में सुधार करने हेतु आवश्यक कदम नहीं उठाये गये हैं।
- याचिका में वैकल्पिक उपाय के रूप में विधि आयोग को इस सूचकांक में शामिल शीर्ष 20 देशों की व्यवस्थाओं का अध्ययन करके भारत की अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में सुधार के उपायों के बारे में सुझाव देने की मांग की गयी थी।
- याचिका में कहा गया कि विधि का खराब शासन, जीवन, स्वतंत्रता, आर्थिक न्याय, बंधुत्व, व्यक्तिगत गरिमा आदि के अधिकार तथा राष्ट्रीय एकीकरण पर हानिकारक प्रभाव डालता है।
- विधि का खराब शासन, संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत प्रदत्त अधिकारों की भी अवमानना करता है।

3. न्यायालय का वक्तव्य

- सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यह न्यायालय के लिये उचित मामला नहीं है। पीठ ने कहा कि याचिका को सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रतिवेदन के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। याचिका में की गई मांगों को उचित पाए जाने पर सरकार छह माह के भीतर उचित निर्णय ले सकती है।

4. रूल ऑफ लॉ इंडेक्स

- यह सूचकांक एक स्वतंत्र संगठन 'वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट' द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है।
- इस सूचकांक में विश्व के 128 देशों को शामिल किया गया है। इसमें किसी देश की रैंकिंग का आधार उस देश का शासकीय खुलापन, मौलिक अधिकार, दीवानी और फौजदारी न्याय व्यवस्था तथा भ्रष्टाचार पर अंकुश पाने जैसे कई बिन्दुओं के आधार पर तैयार की जाती है।
- **वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट', विधि के शासन को निम्नलिखित चार सिद्धांतों को आधार बनाकर पारिभाषित करता हैं:**
  - सरकार, इसके अधिकारी तथा प्रतिनधि, विधि के अधीन उत्तरदायी हो।
  - कानूनों को अधिनियमित करने, प्रशासित करने तथा लागू करने की प्रक्रिया, सुलभ, दक्ष और निष्पक्ष हो।
  - न्याय में सक्षम, नीतिपरक, निष्पक्ष ,स्वतंत्र तथा सभी समुदायों का उचित प्रतिनिधित्व हो।
  - देश में बनाये गए कानून स्पष्ट, प्रचारित, स्थिर और निष्पक्ष हों तथा व्यक्तियों तथा संपति की सुरक्षा करने सहित मूल अधिकारों की भी रक्षा करने में समर्थ हों।

5. सूचकांक के अन्य प्रमुख बिंदु

- 128 देशों की सूची में डेनमार्क प्रथम स्थान पर रहा। नॉर्वे और फीनलैंड को क्रमश: दुसरे और तीसरे स्थान पर रहे।
- इस सूचकांक में सबसे निम्न स्थिति वेनेजुएला की रही एवं यह 128वाँ स्थान पर रहा। इसके अलावा कम्बोडिया को इस सूची में 127 स्थान प्राप्त हुआ।

03 राष्ट्रीय आपदा राहत कोष

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा व्यक्तियों और संस्थानों को सीधे राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (एनडीआरएफ) में योगदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी।
- वित्त मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (NDRF) में सीधे दान करने की अनुमति देना काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाल ही में कई लोगों द्वारा PM CARES फंड अथवा प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में भेजे गए दान के बारे सवाल किये गए। इसके साथ ही, इन दोनों कोषों को सूचना अधिकार अधिनियम के तहत 'सार्वजनिक प्राधिकरण से बाहर' घोषित कर दिया गया है।

2. राष्ट्रीय आपदा राहत कोष

- एनडीआरएफ की स्थापना आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 46 के अनुसार की गई थी।
- इस कोष का गठन किसी संकटपूर्ण आपदा स्थिति में 'आपातकालीन प्रतिक्रिया, राहत और पुनर्वास के लिए व्यय को पूरा करने के लिए' किया गया है। इसका प्रबंधन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है।
- गंभीर प्रकृति की आपदाओं की स्थिति में तत्काल राहत देने के लिए राज्यों के राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
- NDRF को भारत सरकार के "लोक लेखा" में ब्याज रहित आरक्षित निधि के अंतर्गत रखा गया है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) NDRF के खातों का ऑडिट करते हैं।
- राष्ट्रीय राहत कोष में किसी व्यक्ति और संस्था से केवल स्वैच्छिक अंशदान ही स्वीकार किए जाते हैं।
- सरकार के बजट स्रोतों से अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बैलेंस शीट्स से मिलने वाले अंशदान स्वीकार नहीं किए जाते हैं।

3. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF)

- पाकिस्तान से विस्थापित लोगों की मदद करने के लिए जनवरी, 1948 में तत्कालीन प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अपील पर सार्वजनिक योगदान के साथ प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (Prime Ministers National Relief Fund– PMNRF) की स्थापना की गई थी।
- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की धनराशि का इस्तेमाल अब मुख्य रूप से बाढ़, चक्रवात और भूकंप आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं में मारे गए लोगों के परिवारों को और प्रमुख दुर्घटनाओं और दंगों के पीड़ितों को तत्काल राहत देने के लिए किया जाता है।
- इसके अलावा, हृदय शल्य-चिकित्सा, गुर्दा प्रत्यारोपण, कैंसर आदि के उपचार के लिए भी इस कोष से सहायता दी जाती है।

4. सार्वजनिक प्राधिकरण

- आरटीआई अधिनियम की धारा 2 (एच) के अनुसार, "सार्वजनिक प्राधिकरण" का अर्थ किसी भी प्राधिकरण, या निकाय, या संस्था से है, जो सरकार द्वारा स्व-स्थापित या गठित की गई हो जो किसी
  - संविधान द्वारा या उसके अधीन
  - संसद द्वारा बनाए गए किसी अन्य कानून से
  - राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी अन्य कानून से
  - तात्कालिक सरकार द्वारा जारी अधिसूचना या अध्यादेश से
- सार्वजनिक प्राधिकरण की परिभाषा में सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के स्वामित्व में नियंत्रित या पर्याप्त रूप से वित्तपोषित निकाय भी शामिल हैं, जो सरकार द्वारा प्रदान की गई धनराशि से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्तपोषित हैं।

04 पदार्थ की पांचवीं अवस्था

1. चर्चा का कारण

- वैज्ञानिकों को अन्तरिक्ष में पहली बार 'Fifth State of Matter' यानी पदार्थ के पांचवें अवस्था, जिसे बोस-आइंस्टाइन क्वांटम भी कहा जाता है, का सबूत मिला है। इस रिसर्च से क्वांटम यूनिवर्स की कुछ अबूझ पहेलियों को सुलझाने में मदद मिल सकती है।

2. पृष्ठभूमि

- भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन ने पदार्थ की इस अवस्था के बारे में लगभग 100 साल पहले बताया था। इसलिए इसे बोस-आइंस्टाइन कंडेनसेट्स (बीईसी) भी कहते हैं।

3. नासा ने किया रिसर्च

- NASA की एक टीम ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अपने BECs एक्सपेरिमेंट के पहले रिजल्ट पेश किए। ये रिसर्च स्पेस स्टेशन पर इसीलिए की जा रही है क्योंकि यहां पृथ्वी पर आने वाली मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता। इस स्टेट को माइक्रोग्रैविटी में स्टडी किया जा रहा है।
- वैज्ञानिकों का मानना है कि इस स्टडी से उन्हें कई तरह की मददगार जानकारियां मिलेंगी। यह रिसर्च जर्नल नेचर में प्रकाशित किया गया है।

4. कब बनती है पदार्थ की पांचवी अवस्था

- पदार्थ की यह अवस्था तब बनती है, जब किसी तत्व के परमाणुओं को परम शून्य ताप (जीरो डिग्री केल्विन या माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस) तक ठंडा किया जाता है। इसके चलते उस तत्व के सारे परमाणु मिलकर एक हो जाते हैं यानी सुपर एटम बनता है। इसे ही पदार्थ की पांचवी अवस्था कहते हैं।
- किसी भी पदार्थ में उसके परमाणु अलग-अलग गति करते हैं, लेकिन पदार्थ की पांचवी अवस्था में एक ही बड़ा परमाणु होता है और इसमें तरंगे उठती हैं।

5. प्रमुख बिन्दु

- वैज्ञानिकों का मानना है कि BECs में अंतरिक्ष की रहस्यमयी डार्क एनर्जी के बारे में कुछ रहस्य छुपे हुए हैं। वैज्ञानिक ब्रह्मांड के त्वरित विस्तार के पीछे पहेली बनी हुई इस डार्क एनर्जी को मानते हैं। उनका मानना है कि BECs से उन्हें इसके बारे में ज्यादा जानकारी मिल सकती है।
- हालांकि, BECs बहुत ही संवेदनशील होते हैं। बाहरी वातावरण के जरा से भी संपर्क से ये अपने कंडेनसेशन यानी संघनन के सीमा से ज्यादा गर्म हो जाती हैं। ऐसे में वैज्ञानिकों के लिए धरती पर उनका अध्ययन करना लगभग असंभव है, क्योंकि उनके ऑब्जर्वेशन में उन्हें उनके जगह पर स्थिर रखने के लिए मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत होती है, लेकिन धरती पर गुरुत्वाकर्षण बल इसके मैग्नेटिक फील्ड में खलल डालता है।

6. पदार्थ की चार अवस्थाएं

- पदार्थ की चार अवस्थाएं होती हैं। ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। प्लाज्मा गैसीय अवस्था ही होती है, लेकिन यह आयनित होती है। तारे प्लाज्मा से ही बने होते हैं। ब्रह्मांड में 96% प्लाज्मा ही है।

05 पीएम स्वनिधि योजना

1. चर्चा का कारण

- लॉकडाउन के कारण रेहड़ी-पटरी लगाने वाले लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा है। इनकी आजीविका पर सबसे ज्यादा मार पड़ी है। भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने ऐसे लोगों के लिए पीएम स्वनिधि (PM SVANidhi) योजना शुरू की है। सरकार ने स्ट्रीट वेंडरों की मदद की खातिर इस स्कीम के लिए 5000 करोड़ रुपये की राशि रखी है।

2. आवश्यकता क्यों?

- रेहड़ी विक्रेताओं द्वारा आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं में सब्जियां, फल, रेडी-टू-ईट स्ट्रीट फूड, चाय, पकौड़े, ब्रेड, अंडे, वस्त्र, परिधान, जूते, कारीगर उत्पाद, किताबें/स्टेशनरी आदि शामिल हैं। सेवाओं में नाई की दुकानें, मोची, पान की दूकानें व कपड़े धोने की दूकानें भी शामिल हैं।
- वे लोग कोविड-19 संकट के मद्देनजर जिन समस्याओं का सामना कर रहें है, उनके प्रति भारत सरकार संवेदनशील है। ऐसे समय में उन्हें अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सस्ती क्रेडिट प्रदान करने की तत्काल आवश्यकता है।

3. प्रमुख बिन्दु

- यह योजना ठप्प पड़ चुके रोजगारों को दोबारा चालू करने में काफी मददगार साबित होगा। इस योजना के तहत छोटे कामकाजियों की आर्थिक मदद की जाएगी। इस योजना को पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM Street Vendor AatmanirbharNidhi scheme) नाम दिया गया है। इस योजना का लाभ लगभग 50 लाख लोगों को मिलेगा।
- इस योजना के तहत सड़कों के किनारे सामान बेचने वाले, रेहड़ी-पटरी वालों को 10 हजार रुपये तक का कर्ज सरकार द्वारा 1 साल के लिए दिया जाएगा। लिए गए कर्ज को 1 साल के अंदर किश्तों में इन्हें वापस लौटाना होगा।

4. सरकार की महत्वाकांक्षी योजना

- यह भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों के आस-पास सड़क पर माल बेचने वाले विक्रेता शहरी आजीविका कार्यक्रम के लाभार्थी बन गए हैं। वेंडर 10,000 रुपये तक की कार्यशील पूंजी ऋण का लाभ उठा सकते हैं जिसे वे एक वर्ष में मासिक किस्तों में चुका सकते हैं।
- ऋण की समय पर/जल्दी चुकौती करने पर 7% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सब्सिडी लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से छह मासिक आधार पर जमा की जाएगी। ऋण के समय से पहले चुकाने पर कोई पेनल्टी नहीं ली जाएगी।
- इस योजना में ऋण सीमा को समय पर/शीघ्र चुकाने के लिए ऋण की सीमा में वृद्धि करने में मदद मिलती है ताकि विक्रेता को आर्थिक सीढ़ी पर ऊपर चढ़ने की अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने में मदद मिल सके।
- यह पहली बार है कि एमएफआई/गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान/स्वयं सहायता समूह बैंकों को उनके जमीनी स्तर की उपस्थिति और सड़क पर माल बेचने वालों सहित शहरी गरीबों के साथ निकटता के कारण शहरी गरीबों की इस योजना में अनुमति दी गई है।

5. सशक्तिकरण के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग

- प्रभावी वितरण और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इस योजना को एंड-टू-एंड समाधान के साथ संचालित करने के लिए वेब पोर्टल/मोबाइल ऐप के साथ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है।
- यह आईटी प्लेटफॉर्म वेंडर्स को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में समाहित करने में भी मदद करेगा। यह प्लेटफॉर्म क्रेडिट प्रबंधन के लिए सिडबी के उद्यमी मित्र पोर्टल और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के पैसा पोर्टल के साथ एकीकृत करेगा ताकि ब्याज सब्सिडी को स्वचालित रूप से नियंत्रित किया जा सके।

6. डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करना

- यह योजना सड़क पर माल बेचने वालों को मासिक नकद वापसी के जरिये डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करेगी।

7. आगे की राह

- जानकार मानते हैं कि रेहड़ी-पटरी वाले आमतौर पर सूदखोरों के चंगुल में फंस जाते हैं। सूदखोर छोटी सी रकम के बदले उनसे जमकर ब्याज वसूलते हैं। यह स्कीम सूदखोरों के जाल से उन्हें बचाएगी।

06 वैक्सीन राष्ट्रवाद

1. चर्चा का कारण

- चीन, यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में इन दिनों सबसे पहले कोरोना की वैक्सीन बनाने की होड़ जारी है। लेकिन जानकारों ने खोजी जाने वाली दवा के इस्तेमाल में 'राष्ट्रवादी रवैये' को लेकर चेताया है। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन ने संकेत दिया है कि वह COVID-19 वैक्सीन की खुराक के लिए प्राथमिकता का उपयोग (स्वयं के नागरिकों के लिए) सुरक्षित करना चाहेंगे। घरेलू बाजारों के इस प्राथमिकता को वैक्सीन राष्ट्रवाद के रूप में जाना जाता है।

2. वैक्सीन राष्ट्रवाद क्या है?

- चीन में एक हजार से ज्यादा वैज्ञानिक कोरोना वैक्सीन पर काम कर रहे हैं। जानकारों के मुताबिक, चीन पहले दवा बनाकर विकासशील और कमजोर देशों को प्रभाव में लेने की कोशिश में है। उधर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने औषधि अधिकारियों को दवा के विकास में अमेरिका को बढ़त दिलाने को कहा है।
- वैक्सीन राष्ट्रवाद तब होता है जब कोई देश अपने नागरिकों या निवासियों के लिए पहले वैक्सीन की खुराक सुरक्षित करता है इसके बाद वह वैक्सीन की खुराक अन्य देशों में उपलब्ध कराता है।
- यह सरकार और वैक्सीन निर्माता के बीच पूर्व में किए गए खरीद समझौतों के माध्यम से सम्पन्न किया जाता है।

3. पृष्ठभूमि

- वर्ष 2009 में जब स्वाइन फ्लू के प्रकोप के दौरान ऑस्ट्रेलिया ने इसकी वैक्सीन खोजी लेकिन अमेरिका और अन्य देशों को निर्यात करने से पहले अपनी मांग पूरी की।

4. वैक्सीन राष्ट्रवाद से चिंताएँ

- वैक्सीन राष्ट्रवाद से दुनिया में आपूर्ति में बाधा आएगी, जिसका खामियाजा लोगों को ही भुगतना पड़ेगा।
- विश्लेषकों के अनुसार, जिस तरह से चीनी दूरसंचार कंपनी हुवावे ने 5जी नेटवर्क लगाने को लेकर जो रवैया अपनाया, वैसा चीन में कोरोना वैक्सीन को लेकर भी दिख सकता है।
- वह कमजोर देशों में प्रभाव बढ़ाने के लिए कोरोना वैक्सीन का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे संकेत हैं कि चीन मौजूदा हालात को अपने भू-राजनीतिक फायदे में बदलने की जुगत में लगा है।

5. विशेषज्ञों की आपत्ति

- विशेषज्ञों का मानना है कि कम जोखिम वाले देशों में टीकाकरण बाद में सुनिश्चित करना चाहिए साथ ही ज्यादा खतरे वाले देशों में टीकाकरण पहले सुनिश्चित करना चाहिए।

6. भारत की स्थिति

- 40 करोड़ खुराक पाने के लिए भारत ने एस्ट्राजेंका से करार किया है ताकि अमीर देशों की होड़ से यहां टीकाकरण में बाधा न आए।

7. वैक्सीन बनाने को लेकर कितनी प्रगति हुई?

- विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोरोना वायरस के पहले मामले की पुष्टि 31 दिसंबर 2019 को हुई थी। जिस तेजी से वायरस फैला उसे देखते हुए 30 जनवरी 2020 को इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया गया।
- लेकिन शुरुआती वक्त में इस वायरस के बारे में अधिक जानकारी नहीं थी और इस कारण इसका इलाज भी जल्द नहीं मिल पाया। फिलहाल दुनिया-भर में 120 जगहों पर कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इनमें 13 जगहों पर मामला क्लीनिकल ट्रॉयल तक पहुंचा है।
- इन तेरह जगहों में पांच चीन, तीन अमरीका और दो ब्रिटेन में हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया, रूस और जर्मनी में एक-एक जगहों पर ट्रॉयल चल रहा है।

8. सुझाव

- डब्ल्यूएचओ सहित अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के दौरान टीकों के समान पहुंच के लिए एक रूपरेखा तैयार कर अगले महामारी से बचाव के लिए पहले बातचीत कर समन्वय स्थापित करना चाहिए।

07 अंतरिक्ष क्षेत्र का निजीकरण

1. चर्चा का कारण

- भारत सरकार ने जून 2020 में अपने एक ऐतिहासिक निर्णय द्वारा भारत के अन्तरिक्ष क्षेत्र को निजी कम्पनियों के लिए भी खोल दिया है।
- केन्द्र सरकार की मंशा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के विनियमन में ढील दी जाये जिससे कि इस क्षेत्र में ताकि इसमें भी निजी निवेश आ सके।

2. निजी भागीदारी को प्रेरित करना

- अंतरिक्ष क्षेत्र मे निजी भागीदारी को प्रेरित करने का निर्णय देश को आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से उन्नत बनाने के प्रधानमंत्री के दीर्घकालिक दृष्टिकोण के अनुरूप है।
- सरकार के इस निर्णय के बाद से निजी उद्यमियों को भी इसरो के बुनियादी ढांचे, वैज्ञानिक और तकनीकी संसाधनों और यहां तक कि उनके अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए डेटा का उपयोग करने की अनुमति होगी।
- भारत सरकार की मंशा है कि निजी क्षेत्र को अंतरिक्ष गतिविधियों की सम्पूर्ण शृंखला में अर्थात उपग्रह-आधारित सेवा से लेकर रॉकेट लॉन्च तक मे शामिल किया जाए।
- प्रख्यात एयरोस्पेस वैज्ञानिक डॉ. ए. सिवथानू पिल्लई (Dr- A- Sivathanu Pillai) की अध्यक्षता वाली समिति ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोलने का प्रस्ताव दिया था।
- समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया था कि ब्रह्मोस मिसाइल परियोजना के मॉडल का अनुपालन अंतरिक्ष उद्यमों में भी किया जाना चाहिए।
- ब्रह्मोस मिसाइल परियोजना में डीआरडीओ (रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन) ने निजी क्षेत्र के तौर पर निवेश किया है जबकि डीआरडीओं, एक सरकारी एजेंसी है। इसी प्रकार, इसरो (ISRO) को भी अंतरिक्ष क्षेत्र के किसी बड़े सार्वजनिक-निजी भागीदारी वाले प्रोजेक्ट में निवेश करना चाहिए।

3. इन-स्पेस (IN-SPACE)

- कैबिनेट ने नवगठित राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केन्द्र (IN-SPACE) को मंजूरी दे दी है, जो इसरो की एक शाखा के रूप में कार्य करेगा, हालाँकि यह केन्द्र भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के अधीन होगा।
- इन-स्पेस (IN-SPACE), एक स्वायत्त नोडल एजेंसी होगी, जो इसरो से प्रभावित नहीं होगी और न ही इसरो के कार्य को प्रभावित करेगी।
- इन-स्पेस एजेंसी, छह महीने बाद अपनी कार्यात्मक भूमिका में आयेगी जो देश में अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी उद्यमियों को बढ़ावा देगी।
- यह एजेंसी, एक सुविधाकर्ता और एक नियामक के रूप में कार्य करेगी। इसके अतिरिक्त, यह इसरो और निजी क्षेत्र के बीच इंटरफेस के रूप में भी कार्य करेगी ताकि देश में अंतरिक्ष क्षेत्र में भी संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग हो सके।

4. न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड

- न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल), एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है।
- यह उपक्रम, अंतरिक्ष गतिविधियों को आपूर्ति चालित (Supply Ariven) मॉडल से लेकर माँग चालित (Demand Driven) मॉडल तक पुनः उन्मुख करने का प्रयास करेगी ताकि हमारी अंतरिक्ष सम्पत्ति का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित हो सके।
- यह अंतरिक्ष विभाग के अधीन है और इसरो के लिए विपणन शाखा के रूप में काम करेगा।
- यह इसरो द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रौद्योगिकियों और अंतरिक्ष सेवाओं का विपणन करेगा और ग्राहकों को लाएगा।

5. महत्व

- इससे न केवल इस क्षेत्र का त्वरित विकास होगा बल्कि भारतीय उद्योग वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन सकेगा।
- इसके साथ, प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार उत्पन्न होंगे और भारत एक वैश्विक प्रौद्योगिकी पावरहाउस बन सकेगा ।
- इसरो (ISRO) विज्ञान, अनुसंधान और विकास, रणनीतिक प्रक्षेपण आदि पर और अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेगा ।
- ये सुधार अंतरिक्ष परिसंपत्तियों और गतिविधियों के सामाजिक-आर्थिक उपयोग को बढ़ाएंगे, जिसमें अंतरिक्ष संपत्ति, डेटा और सुविधाओं तक बेहतर पहुंच भी शामिल है।
- कुछ ग्रह अन्वेषण मिशन (Planetary Eñploration Missions) भी भविष्य में निजी क्षेत्र के लिए खोले जाएंगे।

7 वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर (ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

01 गाफा टैक्स

प्र. गाफा (GAFA) टैक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. गाफा टैक्स का नामकरण Google, Apple, Facebook तथा Amazone कंपनियों के नाम को मिलाकर किया गया है।
2. यह विश्व की बड़ी प्रौद्योगिकी तथा इंटरनेट कंपनियों पर लगाया जाने वाला एक डिजिटल कर है।
3. भारत पूरे विश्व में तीसरा सबसे बड़ा इंटरनेट उपयोगकर्ता देश है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 व 3 (b) केवल 2 व 3
(c) केवल 1 व 2 (d) उपरोक्त सभी

उत्तर: (c)

व्याख्या: हाल ही में फ्रांस ने डिजिटल कंपनियों द्वारा देश में अर्जित कुल राजस्व पर 3% गाफा (GAFA) कर लगाने का निर्णय लिया है। यह विश्व की बड़ी प्रौद्योगिकी तथा इंटरनेट कंपनियों पर लगाया जाने वाला एक डिजिटल कर है। भारत पूरे विश्व में दूसरा सबसे बड़ा इण्टरनेट उपयोगकर्त्ता देश है। इस तरह कथन 3 गलत है, अतः उत्तर (c) होगा।

02 कानून का शासन सूचकांक

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा जारी 'कानून का शासन सूचकांक-2020' में भारत को 73वाँ रैंक प्रदान किया गया है।
2. इस सूचकांक में विश्व के 128 देशों को शामिल किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 व 2 दोनों (d) न तो 1 न ही 2

उत्तर: (b)

व्याख्या: वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा जारी कानून का शासन (रूल ऑफ लॉ) सूचकांक-2020 में भारत को 69वाँ रैंक प्रदान किया गया है। यह सूचकांक प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। इस सूचकांक में विश्व के 128 देशों को शामिल किया गया है। इस तरह कथन 1 गलत है, अतः उत्तर (b) होगा।

03 राष्ट्रीय आपदा राहत कोष

प्र. राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. राष्ट्रीय आपदा राहत कोष की स्थापना आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 46 के तहत की गई थी।
2. राष्ट्रीय आपदा राहत कोष को भारत सरकार के लोक लेखा में ब्याजरहित आरक्षित निधि के अंतर्गत रखा गया है।
3. इस कोष का निरीक्षण भारत के महान्यायवादी द्वारा किया जाता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2 व 3
(c) केवल 1 व 2 (d) उपरोक्त सभी

उत्तर: (c)

व्याख्या: राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (NDRF) की स्थापना आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 46 के तहत की गई थी। इस कोष का निरीक्षण भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा (CAG) द्वारा किया जाता है। इस तरह कथन 3 गलत है, इसलिए उत्तर (C) होगा।

04 पदार्थ की पाँचवी अवस्था

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. वैज्ञानिक सत्येन्द्र नाथ बोस और वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने पदार्थ की पांचवी अवस्था के बारे में सन् 1930 में बताया था।
2. पदार्थ की पांचवी अवस्था तब बनती है, जब किसी तत्त्व के परमाणुओं को परम शून्य ताप (जीरो डिग्री केल्विन या-273.15°C) तक ठंडा किया जाता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 व 2 दोनों (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (b)

व्याख्या: भारतीय वैज्ञानिक सत्येन्द्र नाथ बोस और वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने पदार्थ की 5वीं अवस्था के बारे सन् 1924-25 में बताया था। विदित हो कि पदार्थ की 5वीं अवस्था तब बनती है, जब किसी तत्व के परमाणुओं को परम शून्य ताप (-273-15°C) तक ठंडा किया जाता है। इस तरह कथन 1 गलत है, अतः उत्तर (b) होगा।

05 पीएम स्वनिधि योजना

प्र. पीएम स्वनिधि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. पीएम स्वनिधि योजना को 'पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि नाम' दिया गया है।
2. इस योजना के तहत बड़े कारोबारियों को आर्थिक मदद दी जाएगी।
3. इस योजना के तहत रेहड़ी-पतरी वालों को 50 हजार रुपयें तक का कर्ज सरकार द्वारा दिया जाएगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2 व 3
(c) केवल 1 व 2 (d) उपरोक्त सभी

उत्तर: (a)

व्याख्या: सरकार ने स्ट्रीट वेंडरों की मदद के खातिर पीएम स्वनिधि योजना की शुरूआत की है। इस योजना के तहत छोटे कारोबारियों को आर्थिक मदद दी जाएगी। इस योजना के तहत रेहड़ी-पटरी वालों को 10 हजार रुपयें तक का कर्ज सरकार द्वारा दिया जाएगा। इस तरह कथन 2 और 3 गलत हैं, इसलिए उत्तर (a) होगा।

06 वैक्सीन राष्ट्रवाद

प्र. वैक्सीन राष्ट्रवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. वैक्सीन राष्ट्रवाद से तात्पर्य है कि, जब कोई देश अपने नागरिकों या निवासियों के लिए पहले वैक्सीन की खुराक सुरक्षित करता है, इसके बाद किसी देश को वैक्सीन उपलब्ध कराता है।
2. इसे सरकार और वैक्सीन निर्माता के बीच पूर्व में किए गए खरीद समझौते के माध्यम से सम्पन्न किया जाता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 व 2 दोनों (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (c)

व्याख्या: वैक्सीन राष्ट्रवाद की स्थिति तब आती है, जब कोई देश अपने नागरिकों या निवासियों के लिए पहले वैक्सीन की खुराक सुरक्षित करता है, इसके बाद ही किसी देश को उपलब्ध कराता है। इसे सरकार और वैक्सीन निर्माता के बीच पूर्व में किए गये खरीद समझौते के माध्यम से संपन्न किया जाता है। इस तरह दोनों कथन सही हैं, अतः उत्तर (c) होगा।

07 अंतरिक्ष क्षेत्र का निजीकरण

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. भारत सरकार द्वारा निजी क्षेत्र को अंतरिक्ष उपग्रह एवं प्रक्षेपण सेवाएं मुहैया कराने के लिए अनुमति दी गई।
2. इन-स्पेस (IN-SPACE) एक स्वायत्त नोडल एजेंसी होगी जो इसरों से प्रभावित नहीं होगी।
3. इन स्पेस एजेंसी एक सुविधाकर्त्ता और एक नियामक के रूप में कार्य करेगी।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 व 2 (b) केवल 2 व 3
(c) केवल 3 (d) उपरोक्त सभी

उत्तर: (d)

व्याख्या: भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमण्डल ने अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, विभिन्न अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को मंजूरी दी। मंत्रिमण्डल ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केन्द्र (IN-SPACe) की स्थापना की अनुमति दी, जो एक स्वायत्त नोडल एजेंसी होगी। इस तरह उपर्युक्त सभी कथन सही हैं, अतः उत्तर (d) होगा।

7 महत्वपूर्ण खबरें

01 जी-4 वायरस

- हाल ही मे चीन के वैज्ञनिकों ने एक नए फ्लू वायरस का पता लगाया है, जिसमें महामारी का रूप लेने की क्षमता है। इसका नाम G4 वायरस है। वैज्ञानिकों को स्थानीय सुअरों में यह वायरस मिला है। ये वायरस इंसानों में फैल सकता है। चीनी वैज्ञानिकों का दावा है कि ये वायरस भी जानलेवा महामारी बन सकता है। शोधकर्ताओं ने G4 वायरस को H1N1 वायरस का ही एक प्रकार घोषित किया है, जो वर्ष 2009 में फैली स्वाइन फ्लू महामारी का कारण बना था।
- अध्ययन में पता चला है कि यह वायरस एयरोसोल ट्रांसमिशन के माध्यम से फेरेट (नेवले की जाति का एक जानवर) को संक्रमित कर सकता है जिससे उनमें छींक, खांसी, सांस लेने में तकलीफ जैसे गंभीर लक्षण नजर आने के साथ ही उनके शरीर का 7.3 से 9.8 फीसदी द्रव्यमान के बराबर वजन कम हो सकता है।

जी-4 वायरस

- जी-4 बहुत ज्यादा संक्रामक वायरस है। यह मानव कोशिकाओं में प्रतिकृति और अन्य वायरस की तुलना में अधिक गंभीर लक्षण पैदा करता है। परीक्षणों से यह भी पता चला है कि मौसमी फ्लू के संपर्क में आने से मनुष्य की प्रतिरक्षा उसे जी-4 से सुरक्षा प्रदान नहीं करता है।

H1N1 इन्फ्लूएंजा

स्वाइन फ्लू एक संक्रामक रोग है, जो इनफ्लुएंजा वायरस (H1N1) के द्वारा फैलता है। H1N1 संक्रमण को स्वाइन फ्लू कहा जाता है, अतीत में यह उन्हीं लोगों को होता था जो सूअरों के सीधे संपर्क में आते थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, इन्फ्लुएंजा A, अर्थात H1N1, व्यक्ति से व्यक्ति में भी फैलता है। इसे WHO द्वारा वर्ष 2009 में एक महामारी घोषित किया गया था।

02 NBFC और HFC हेतु सरकार की विशेष नकदी योजना

- भारतीय रिजर्व बैंक ने 01 जुलाई को हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (HFCs) और गैर-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों (NBFC) के लिए सरकार की विशेष नकदी योजना की घोषणा की है।
- इस योजना का उद्देश्य NBFC और HFC की नकदी की स्थिति में सुधार करना है ताकि वित्तीय क्षेत्र के लिए किसी भी संभावित व्यवस्थित जोखिम से बचा जा सके। मई के महीने में भी सरकार की तरफ से एनबीएफसी के लिए 30000 करोड़ रुपए की स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम का ऐलान किया गया था।
- इस योजना के क्रियान्वयन के लिये भारतीय स्टेट बैंक की सहायक कंपनी 'भारतीय स्टेट बैंक कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड' (SBICAP) द्वारा 'SLS ट्रस्ट' नाम से 'स्पेशल पर्पज व्हीकल' को स्थापित किया गया है। इस 'स्पेशल पर्पज व्हीकल' के माध्यम से ही गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को विशेष तरलता योजना से जोड़ने का कार्य किया जाएगा।
- स्पेशल पर्पज व्हीकल' पात्र NBFCs और HFCs से अल्पकालिक दस्तावेजों/कागजों

को खरीदेगा जिनमें केवल 'गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर' (Non-convertible debentures-NCDs) तथा 'वाणिज्यिक पत्र' (Commercial paper- CP) को ही खरीदा जाएगा। 'स्पेशल पर्पज व्हीकल' के द्वारा खरीदे गए दस्तावेजों की शर्त यह होगी कि इनकी परिपक्वता अवधि तीन माह से अधिक न हो तथा इनकी रेटिंग इन्वेस्टमेंट ग्रेड की होनी चाहिये। 30 सितंबर, 2020 के बाद जारी किये गए किसी भी दस्तावेज के लिये यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी क्योंकि 'स्पेशल पर्पज व्हीकल' 30 सितंबर, 2020 के बाद नई खरीद करने के लिये बंद हो जाएगा।

महत्व

- यह योजना 3 महीने तक खुली रहेगी। इस योजना के तहत वित्तपोषण का उपयोग NFBC/HFC द्वारा केवल मौजूदा देनदारियों को चुकाने के लिए किया जाएगा, परिसंपत्तियों के विस्तार के लिए नहीं।

03 अरुणाचल प्रदेश में तितलियों की दो नई प्रजातियां

- अरूणाचल प्रदेश में तितली की दो नई प्रजातियों की खोज की गई है। ये दो नई प्रजातियां हैं, स्ट्रिप्ड हेयरस्ट्रीक एवं इलूसिव प्रिंस।

स्ट्रिप्ड हेयरस्ट्रीक (Striped Hairstreak)

- जिसका वैज्ञानिक नाम यामानोटोजेफाइरस क्वांग्टुजेनेसिस (Yamamotoze phyrus-kwangtugenesis) है। इसको प्रथम बार जापानी शोधकर्त्ताओं द्वारा चीन के हैनात प्रांत में देखा गया था। इसे अभी अरुणाचल प्रदेश के विजयनगर मे खोजा गया है जो म्यांमार की सीमा के पास है।

इलूसिव प्रिंस (Elusive Prince)

- जिसका वैज्ञानिक नाम रोहना टोंकिनियाना (Rohana tonkiniana) है। इसे पहली बार वियतनाम में देखा गया था। इसे अरुणाचल प्रदेश के नामदफा नेशनल पार्क के पास मिआओ में खोजा गया है।
- उपर्युक्त दोनों प्रजातियों की खोज की घोषणा बायोनोट्स जर्नल के अप्रैल-जून संस्करण में की गई।
- उपर्युक्त दोनों प्रजातियों के साथ ही भारत में तितली की कुल प्रजातियों की संख्या 1327 हो गई है।

महत्व

- किसी भी क्षेत्र में तितलियों की प्रचुरता समृद्ध जैव विविधता का प्रतिनिधित्व करती है। तितली एक संकेतक प्रजाति के रूप में कार्य करती है। एक संकेतक प्रजाति पारिस्थितिकी तंत्र की समग्र स्थिति और उस पारिस्थितिकी तंत्र में अन्य प्रजातियों की जानकारी प्रदान करती है। वे पर्यावरणीय परिस्थितियों के साथ-साथ सामुदायिक संरचना के पहलुओं की गुणवत्ता और परिवर्तनों को दर्शाते हैं। यह पौधों की कई प्रजातियों के परागण और संरक्षण में मदद करके एक परागणक का काम करता है।

नामदफा राष्ट्रीय उद्यान

- यह भारत और म्यांमार के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले के भीतर स्थित है। टाइगर (पैंथेरा टाइग्रिस), लेपर्ड (पेंथेरा पार्डस), स्नो लेपर्ड (पैंथेरा अनसिया) और क्लाउडेड लेपर्ड (नेबेलिस नेबुलोसा) नामक बड़ी बिल्ली की चार फेलिन प्रजातियां रखने के लिए यह दुनिया का एकमात्र पार्क है। भारत में पाई जाने वाली एकमात्र प्रजाति हूलॉक गिबन्स इस राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है।

04 ड्रग डिस्कवरी हैकथॉन–2020

- हाल ही में दवाओं की खोज प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए, एक राष्ट्रीय पहल ड्रग डिस्कवरी हैकथॉन-2020 को शुरू किया गया। इस पहल को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन तथा रमेश पोखरियाल (संघ मानव संसाधन विकास मंत्री) द्वारा शुरू किया गया था। इस हैकथॉन का उद्देश्य कम्प्यूटेशनल विधियों के माध्यम से कोविड-19 वायरस के लिए दवा उम्मीदवारों की पहचान करना है।

हैकथॉन के बारे में

- ड्रग डिस्कवरी हैकथॉन अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय पहल है जो दवा की खोज प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए शुरू की गई है। इसके माध्यम से, सरकार अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभाओं को आकर्षित करने की योजना भी बना रही है क्योंकि यह योजना दुनिया भर के पेशेवरों, संकायों, शोधकर्ताओं और विभिन्न

क्षेत्रों जैसे कंप्यूटर विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, रसायन विज्ञान, फार्मेसी, बुनियादी विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी से दुनिया भर से भागीदारी के लिए खुला है। यह हैकथॉन दवा की खोज प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए नए मॉडल की स्थापना में भारत का समर्थन करेगा।

- हैकथॉन के दौरान प्राथमिक उद्देश्य दवाओं की खोज के कम्प्यूटेशनल पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा। यह तीन ट्रैक पर किया जाएगा:
  - **ट्रैक 1:** मौजूदा डेटाबेस से, ड्रग डिजाइन के लिए कम्प्यूटेशनल मॉडलिंग की पहचान करना। पहचाने गए मॉडलिंग को प्रतिरोध प्रदान करना या कोविड-19 वायरस को रोकना।
  - **ट्रैक 2:** डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करके, नए टूल और एल्गोरिदम विकसित किए जाएंगे। मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम का उपयोग करके, एक दवा की तरह यौगिक की जानकारी की जायेगी जिसमें कम विषाक्तता और उच्च चयनात्मकता और विशिष्टता होगी।
  - **ट्रैक 3:** महत्वाकांक्षी और खोजपूर्ण दृष्टिकोण।
- हैकथॉन के तीन चरण होंगे: प्रत्येक चरण 3 महीने का होगा। ड्रग डिस्कवरी हैकथॉन अप्रैल-मई 2021 तक पूरा हो जाएगा।

05 एम.पी. में मंत्रियों की संख्या संवैधानिक सीमा से अधिक

- हाल ही में मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्रियों और राज्य मंत्रियों की कुल संख्या को बढ़ाकर 34 कर दिया गया जो उसके कुल विधानसभा सीटों के 15% से अधिक है। जबकि संविधान में प्रावधान है कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा के कुल सीटों के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किये गये इस कृत्य से ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश की मंत्रिपरिषद की स्थिति भारत के संविधान से ऊपर हो गई है। इसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं।

संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 164 के तहत**
  - (1) मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल, मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा तथा मंत्री, राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त अपने पद धारण करेंगे। परन्तु (छत्तीसगढ़, झारखण्ड), मध्य प्रदेश और (उड़ीसा) राज्यों में जनजातियों के कल्याण का भारसाधक एक मंत्री होगा जो साथ ही अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण का या किसी अन्य कार्य का भी भारसाधक हो सकेगा।
  - (1क) किसी राज्य की मंत्रि-परिषद में, मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। परन्तु किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या बारह से कम नहीं होगी। परन्तु यह और कि जहां संविधान (इक्यानबेवां संशोधन) अधिनियम, 2003 के प्रारम्भ पर किसी राज्य की मंत्रि-परिषद में मुख्यमंत्री सहित की कुल संख्या, यथास्थिति, उक्त पन्द्रह प्रतिशत या पहले परन्तुक में विनिर्दिष्ट

संख्या से अधिक है वहां उस राज्य मंत्रियों की कुल संख्या ऐसी तारीख से जो राष्ट्रपति लोक अधिसूचना द्वारा नियत करे, छह मास के भीतर इस खण्ड के उपबन्धों के अनुरूप लाई जाएगी।

- (1ख) किसी राजनीतिक दल का किसी राज्य की विधान सभा या किसी राज्य के विधान-मण्डल के किसी सदन का जिसमें विधान परिषद् हैं, कोई सदस्य जो दसवीं अनुसूची के पैरा 2 के अधीन उस सदन का सदस्य होने के लिए निरर्हित है, अपनी निरर्हता की तारीख से प्रारम्भ होने वाली और उस तारीख तक जिसको ऐसे सदस्य के रूप में उसकी पदावधि समाप्त होगी या जहां वह, ऐसी अवधि की समाप्ति के पूर्व यथास्थिति, किसी राज्य की विधान सभा के लिए या विधान परिषद् वाले किसी राज्य के विधान-मण्डल के किसी सदन के लिए कोई निर्वाचन लड़ता है, उस तारीख तक जिसको वह निर्वाचित घोषित किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, की अवधि के दौरान, खण्ड (1) के अधीन मंत्री के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए भी निरर्हित होगा।
- 164 (4) कोई मंत्री, जो निरन्तर छह मास की किसी अवधि तक राज्य के विधान मण्डल का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा।

06 सकतेंग अभयारण्य

- हाल ही में, चीन ने 'वैश्विक पर्यावरण सुविधा' (Global Environment Facility-GEF) की 58 वीं बैठक में भूटान के सकतेंग वन्यजीव अभयारण्य' (Sakteng Wildlife sanctuary) क्षेत्र पर अपना दावा जताया। ज्ञात हो, कि थिम्पू और बीजिंग के मध्य औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं हैं, पर दोनों पक्षों के मध्य सीमा- विवादों को सुलझाने तथा सीमांकन करने के लिए वार्ता जारी है।
- उल्लेखनीय है कि भूटान के पश्चिमी और मध्य क्षेत्र में स्थित 'जकरलंग घाटी' (Jakarlung Valley), पसामलंग घाटी' (Pasamlung Valley) तथा चुम्बी घाटी (Chumbi Valley) स्थानों को लेकर चीन तथा भूटान के मध्य विवाद जारी है।

सकतेंग वन्यजीव अभयारण्य

- 'सकतेंग वन्यजीव अभयारण्य' चीन और भूटान के बीच विवादित क्षेत्र में स्थित है, जो कि चीन और भूटान सीमा वार्ता के एजेंडे में शामिल है। चीन के अनुसार, चीन और भूटान के बीच सीमा को कभी भी सीमांकित नहीं किया गया है। दोनों देशों के बीच पूर्वी, मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों में लंबे समय से विवाद चल रहे हैं।
- भूटान ने चीन के दावे को खारिज करते हुए कहा कि सकतेंग वन्यजीव अभ्यारण्य भूटान का एक अभिन्न और संप्रभु क्षेत्र है और भूटान तथा चीन के बीच सीमा पर चर्चा के दौरान यह कभी भी एक विवाद का विषय नहीं रहा है। ध्यातव्य है कि चीन और भूटान के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध न होने के कारण भूटान ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास के माध्यम से चीन को अपनी स्थिति से अवगत कराया।

वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF)

- GEF की स्थापना पृथ्वी की सबसे गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने में मदद करने के उद्देश्य से 'रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन' (Rio Earth Summit), 1992 की पूर्व संध्या पर की गयी थी। AGEF विभिन्न देशों, अंतरराष्ट्रीय संस्थानों, नागरिक समाज संगठनों तथा निजी क्षेत्रों की एक अंतरराष्ट्रीय भागीदारी है, और इसका उद्देश्य वैश्विक पर्यावरण मुद्दों का सामाधान करना है।
- वैश्विक पर्यावरण सुविधा, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलनों और समझौतों के अंतर्गत उद्देश्यों को पूरा करने हेतु अल्प-विकसित तथा विकासशील देशों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस संगठन के द्वारा जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र, ओजोन परत का क्षरण, मृदा की उर्वरा शक्ति में कमी तथा आर्गेनिक प्रदूषक इत्यादि 6 मुख्य क्षेत्रों पर कार्य किया जाता है। विश्व बैंक GEF ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है तथा GEF ट्रस्ट कोष का प्रबंधन करता है।

07 इंडिया टीबी रिपोर्ट–2020

- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इंडिया टीबी रिपोर्ट-2020 जारी किया। इसमें बताया गया कि दो लाख से ज्यादा टीबी मरीज गुमशुदा हैं। जबकि, 1.3 लाख मरीज पंजीयन के बाद दोबारा अस्पताल ही नहीं पहुंचे। देश में पहली बार टीबी के सर्वाधिक मरीज सामने आए हैं। हालांकि, इनमें से आधे मरीज पांच राज्यों में ही मिले हैं।
- केंद्र के अनुमान के अनुसार देश में टीबी के 26.9 लाख मरीज हो सकते हैं लेकिन वर्ष 2019 में 24.04 लाख मरीजों की ही पहचान हो सकी। हालांकि, पिछले वर्षों की तुलना में यह आंकड़ा 12 फीसदी अधिक है। इनमें से 94.4 फीसदी मरीजों का पिछले वर्ष ही उपचार शुरू हो चुका है।
- जबकि वर्ष 2018 में 21.02 लाख मरीज मिले थे और उपचार सफलता दर 80 फीसदी दर्ज की गई थी। टीबी रोग को लेकर बीते कुछ वर्षों में बजट भी काफी बढ़ाया गया है। वर्ष 2016-17 में स्वीकृत 640 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2019 में 3333 करोड़ रुपये दिया गया है।
- वर्ष 2019 में 79,144 मरीजों की टीबी के चलते मौत हुई है। टीबी के कुल मरीजों में 1,51,286 बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा एमडीआर और आरआर टीबी के 66,255 रोगियों में से 56,569 को उपचार दिया गया है।

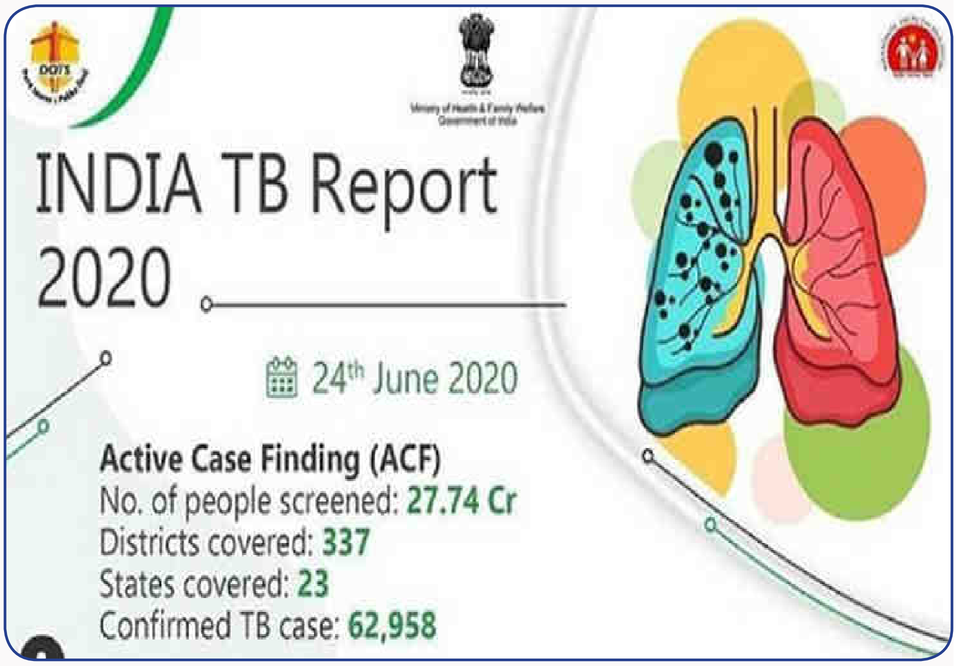

- रिपोर्ट के अनुसार पांच राज्य उत्तर प्रदेश 20, महाराष्ट्र 9, मध्यप्रदेश आठ और राजस्थान व बिहार में सात फीसदी मरीज मिले हैं। इसके अलावा वर्ष 2018 की तुलना में प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों की पहचान होने से संख्या में बढ़ोतरी हुई है।
- मंत्रालय के अनुसार हिमाचल प्रदेश ने 2021, सिक्किम व लक्षद्वीप ने 2020 और बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, मध्यप्रदेश, पुड्जड्डुचेरी और तमिलनाडु ने 2025 में टीबी मुक्त होने का लक्ष्य रखा है। जबकि केरल का लक्ष्य इसी वर्ष टीबी मुक्त होने का है।
- यूरोपियन रेस्पिरेटरी जर्नल' में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार अगले पांच वर्षों में भारत में लगभग 95,000 अतिरिक्त मौतें टीबी के कारण हो सकती हैं। क्योंकि कोरोना वायरस महामारी का स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ा है। अध्ययन के अनुसार कोरोना महामारी टीबी के वैश्विक बोझ को काफी बढ़ा सकती है। अध्ययन के अनुमान के मुताबिक, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर और मजबूत नहीं किया जाता है, तो भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका में टीबी से कम से कम 110,000 अतिरिक्त मौतें हो सकती हैं।

7 महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु)

01

03

05

01 गाफा (GAFA) टैक्स से आप क्या समझते हैं? यह टैक्स डिजिटल कंपनियों के लाभ को किस प्रकार प्रभावित करेगा? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें।

02 कुछ वर्षों से शरणार्थी समस्या एक वैश्विक समस्या बनती जा रही है। विश्व में शरणार्थियों की स्थिति तथा उनके सामने आने वाली चुनौतियों पर सविस्तार चर्चा करें।

03 हाल ही में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई 'स्वनिधि योजना' की चर्चा करते हुए यह बतायें कि यह योजना छोटे कारोबारियों के लिए किस प्रकार सहायक है?

04 कोविड-19 महामारी ने "मानव को न सिर्फ प्रकृति से बल्कि मानव को मानव से भी दूर कर दिया है।" इस कथन के संदर्भ में मानव-प्रकृति संबंधों की चर्चा करें।

05 जैव आतंकवाद क्या है? मानव अस्तित्व के लिए यह किस प्रकार चुनौतीपूर्ण है? टिप्पणी करें।

06 इतिहास की कई घटनाओं ने यह सिद्ध किया है कि "मानव का विकास प्रेम और शांति के द्वारा ही किया जा सकता है न कि युद्ध के द्वारा।" टिप्पणी करें।

07 हाल ही में केन्द्र सरकार ने कृषि अवसंरचना कोष के तहत, 'केन्द्रीय क्षेत्र योजना' को मंजूरी दी है। यह योजना किसानों के सशक्तिकरण में किस प्रकार सहायक होगी? उल्लेख करें।

7 महत्वपूर्ण तथ्य
(प्रारंभिक परीक्षा हेतु)

01

03

05

01 हाल ही में किस वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया?

देहिंग पटकई वन्यजीव अभयारण्य (असम)

02 किस राज्य सरकार ने स्थानीय निवासियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए 'महा जॉब्स पोर्टल' शुरू किया है?

महाराष्ट्र

03 हाल ही में भारत में खोजी गई सबसे बड़ी तितली का क्या नाम है?

गोल्डेन बर्डविंग (हिमालयन बटरफ्लाई)

04 किस राज्य सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से दो हजार रूपये की वार्षिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए 'बुनकर सम्मान योजना' शुरू की है?

कर्नाटक

05 किस देश ने 'ओफेक 16' नाम से एक नया सैन्य निगरानी उपग्रह लॉन्च किया है?

इजराइल

06 ऑनलाइन बी.एस.सी (B.SC) डिग्री प्रोग्राम शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान कौन है?

आईआईटी मद्रास

07 हाल ही में विकसित भारत का पहला 'स्वदेशी सुपर सोशल मिडिया ऐप' का क्या नाम है?

ऐलीमेंट्स (Elyments)

7 महत्वपूर्ण उक्तियाँ (निबंध तथा उत्तर लेखन में उपयोगी)

01 किसी की निंदा ना करें, अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरुर बढाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते, तो अपने हाथ जोड़िये, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिये, और उन्हें उनके मार्ग पे जाने दीजिये।

स्वामी विवेकानन्द

02 स्वतंत्र होना, सिर्फ अपनी जंजीर को उतार देना मात्र नहीं है, बल्कि इस तरह का जीवन जीना है कि औरों का सम्मान और स्वतंत्रता बढ़े।

नेल्सन मंडेला

03 किसी बच्चे की शिक्षा अपने ज्ञान तक सीमित मत रखिये, क्योंकि वह किसी और समय में पैदा हुआ है।

रबिन्द्रनाथ टैगोर

04 महान उपलब्धियाँ कभी भी आसानी से नहीं मिलतीं और आसानी से मिली उपलब्धियाँ महान नहीं होती।

बाल गंगाधर तिलक

05 हर कोई दुनिया बदलना चाहता है, लेकिन कोई खुद को बदलने की नहीं सोचता है।

लियो टॉलस्टॉय

06 उत्साहहीन, निर्बल व दुःख में डूबा हुआ इंसान कोई अच्छा कार्य नहीं कर सकता। अतः वह धीरे-धीरे दुख की गहराइयों में डूब जाता है।

गोस्वामी तुलसीदास

07 हमारा भाग्य सितारों और ग्रहों के बस में नहीं है बल्कि हमारे बस में है।

विलियम शेक्सपीयर

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

AN INTRODUCTION

Dhyeya IAS, a decade old institution, was founded by Mr. Vinay Singh and Mr. Q.H. Khan. Ever since its emergence it has unparallel track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential realize their dreams which is evidents from success stories of the previous years.

Quite a large number of students desirous of building a career fro themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vartly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move my invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experrienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.

Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Coaching classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam. classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individuals capacity to focus, learn and innovate as we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything you can only help him find it within himself.

DSDL Prepare yourself from distance

Distance learning Programme, DSDL, primarily caters the need for those who are unable to come to metros fro economic or family reason but have ardent desire to become a civil servant. Simultaneously, it also suits to the need of working professionals, who are unable to join regular classes due to increase in work load or places of their posting. The principal characteristic of our distance learning is that the student does not need to be present in a classroom in order to participate in the instruction. It aims to create and provide access to learning when the source of information and the learners are separated by time and distance. Realizing the difficulties faced by aspirants of distant areas, especially working candidates, in making use of the Institute's classroom guidance programme, distance learning system is being provided in General Studies.The distance learning material is comprehensive, concise and examoriented in nature. Its aim is to make available almost all the relevant material on a subject at one place. Materials on all topics of General Studies have been prepared in such a way that, not even a single point will be missing. In other words, you will get all points, which are otherwise to be taken from 6-10 books available in the market / library. That means, DSDL study material is undoubtedly the most comprehensive and that will definitely give you added advantage in your Preliminary as well as Main Examination. These materials are not available in any book store or library. These materials have been prepared exclusively for the use of our students. We believe in our quality and commitment towards making these notes indispensable for any student preparing for Civil Services Examination. We adhere all pillars of Distance education.

Face to Face Centres

DELHI (MUKHERJEE NAGAR) : 011-49274400 | 9205274741, **DELHI (RAJENDRA NAGAR)** : 011-41251555 | 9205274743, **DELHI (LAXMI NAGAR)** : 011-43012556 | 9205212500, **ALLAHABAD** : 0532-2260189 | 8853467068, **LUCKNOW (ALIGANJ)** 9506256789 | 7570009014, **LUCKNOW (GOMTI NAGAR)** 7234000501 | 7234000502, **GREATER NOIDA RESIDENTIAL ACADEMY** : 9205336037 | 9205336038, **BHUBANESWAR** : 8599071555, **SRINAGAR (J&K)** : 9205962002 | 9988085811

Live Streaming Centres

BIHAR: PATNA – 6204373873, 9334100961 | **CHANDIGARH** – 9216776076, 8591818500 | **DELHI & NCR** : FARIDABAD – 9711394350, 1294054621 | **GUJARAT**: AHMEDABAD - 9879113469 | **HARYANA**: HISAR – 9996887708, 9991887708, KURUKSHETRA – 8950728524, 8607221300 | **MADHYA PRADESH**: GWALIOR -9993135886, 9893481642, JABALPUR-8982082023, 8982082030, REWA –9926207755, 7662408099 | **MAHARASHTRA**: MUMBAI - 9324012585 | **PUNJAB**: PATIALA - 9041030070, LUDHIANA – 9876218943, 9888178344 | **RAJASTHAN**: JODHPUR - 9928965998 | **UTTARAKHAND**: HALDWANI-7060172525 | **UTTAR PRADESH**: ALIGARH – 9837877879, 9412175550, AZAMGARH - 7617077051, BAHRAICH - 7275758422, BAREILLY - 9917500098, GORAKHPUR - 7080847474, 7704884118, KANPUR - 7275613962, LUCKNOW (ALAMBAGH) - 7518573333,7518373333, MORADABAD - 9927622221, VARANASI - 7408098888

YouTube dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

TRUEWORD
Quest for Wisdom

Price ₹ 40

Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.com/hindi

ध्येयIAS most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

Subscribe Dhyeya IAS Email Newsletter
(ध्येय IAS ई-मेल न्यूजलेटर सब्स्क्राइब करें)

जो विद्यार्थी ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप (Whatsapp Group) से जुड़े हुये हैं और उनको दैनिक अध्ययन सामग्री प्राप्त होने में समस्या हो रही है | तो आप हमारेईमेल लिंक Subscribe कर ले इससे आपको प्रतिदिन अध्ययन सामग्री का लिंक मेल में प्राप्त होता रहेगा | **ईमेल से Subscribe करने के बाद मेल में प्राप्त लिंक को क्लिक करके पुष्टि (Verify) जरूर करें अन्यथा आपको प्रतिदिन मेल में अध्ययन सामग्री प्राप्त नहीं होगी |**

नोट (Note): अगर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में अध्ययन सामग्री प्राप्त करनी है, तो आपको दोनों में अपनी ईमेल से Subscribe करना पड़ेगा | आप दोनों माध्यम के लिए एक ही ईमेल से जुड़ सकते हैं |

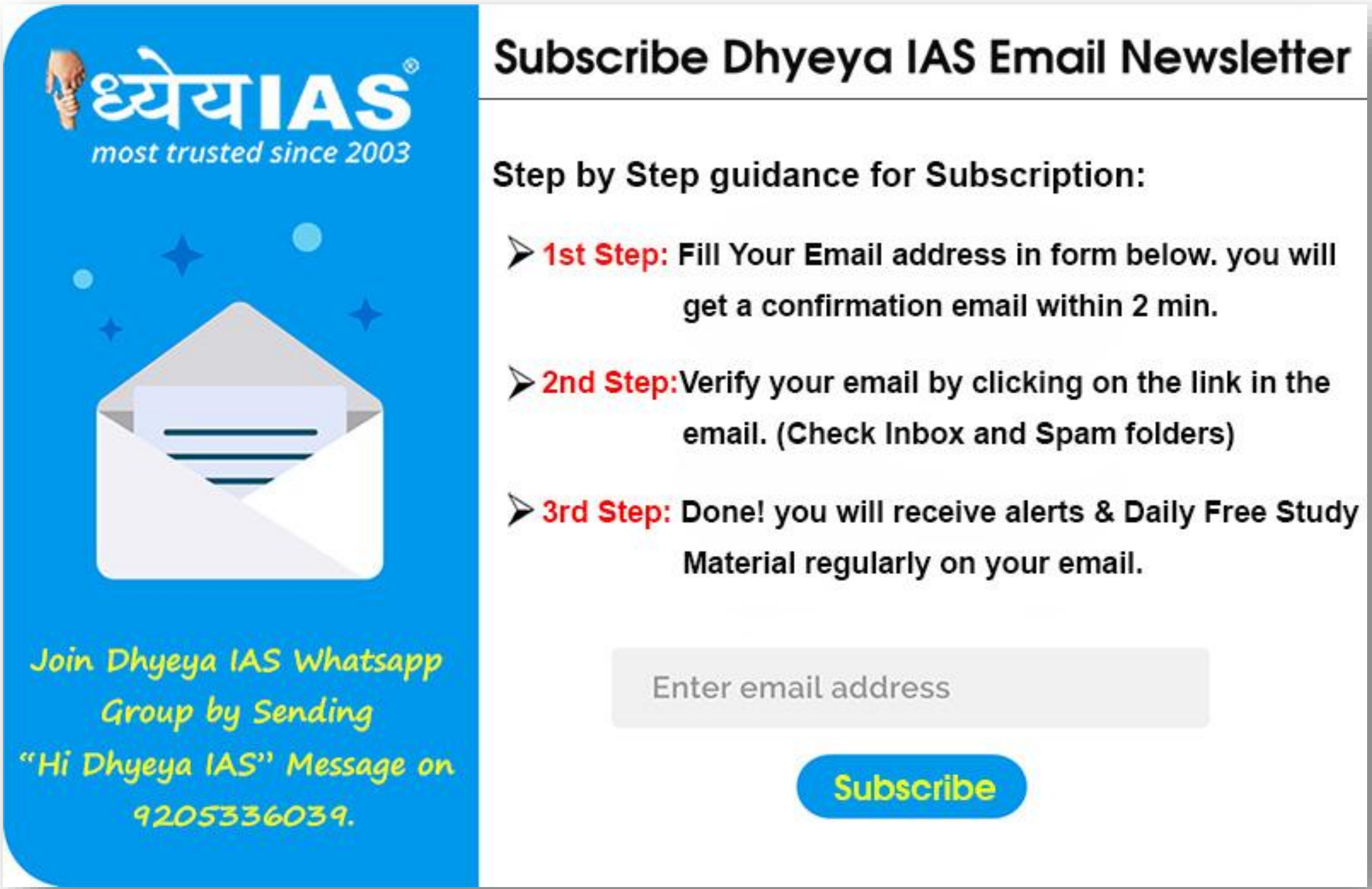

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400